# BCCI BULLETIN

Vol. 51 | JUNE 2020 | No. 3

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES


# आयकर विवाद का निपटारा कर लोग बचाएँ समय

## विभाग ने किया 'विवाद से विश्वास योजना' पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

परिचर्चा को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः बिहार एण्ड झारखण्ड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री वीरेन्द्र सिंह, भा.रा.से. एवं प्रधान आयकर आयुक्त श्री आर. बी. नाईक, भा.रा.से. तथा बाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री वीरेन्द्र सिंह, भा.रा.से. का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में प्रधान आयकर आयुक्त श्री आर. बी. नाईक, भा.रा.से. तथा चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर।

प्रधान आयकर आयुक्त श्री आर. बी. नाईक, भा.रा.से. का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

### 31 मार्च से पहले बकाया कर भुगतान करने वालों को ब्याज और जुर्माने से मिलेगी पूरी छूट

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 6 मार्च, 2020 को आयकर विभाग की ओर से भारत सरकार द्वारा घोषित आयकर का **'विवाद से विश्वास'** योजना पर जारूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आयकर विभाग के अधिकारियों ने उद्यमियों एवं व्यापारियों को इस नई योजना की विस्तृत जानकारी दी।

चैम्बर अध्यक्ष पी के अग्रवाल ने आयकरदाताओं को इस योजना से अवगत कराने के लिए आयकर विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने इसकी घोषणा 1 फरवरी 2020 को 2020–2021 का बजट प्रस्तुत करने के क्रम में की थी। इस योजना के तहत करदाताओं को उनके विवादित लंबित कर के भुगतान का अवसर दिया गया है। इस योजना में 31 मार्च 2020 से पहले बकाया कर का भुगतान करने वाले करदाताओं को ब्याज और जुर्माने से पूरी तरह छूट मिलेगी और उसके बाद इस योजना के तहत भुगतान करने पर बकाया कर देनदारी के साथ 10 प्रतिशत अतिरिक्त विवादित कर का भुगतान करना होगा।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि इस योजना का मूल उद्देश्य अधिकाधिक आयकरदाताओं को फायदा पहुँचाना है। योजना में रिफंड को भी शामिल किया गया है। यह सुनहरा अवसर है, इसलिए कोई भी आयकर संबंधित विवादित हों तो उसका निपटारा कराकर अपना समय बचाएँ।

## अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं

आप सभी अवगत है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते संक्रमण के चलते माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 मार्च 2020 से सम्पूर्ण भारत में LOCK DOWN लगाया था, फलतः पूरे बिहार में भी LOCK DOWN था।

भारत सरकार की ओर से कोरोना काल में देश के आर्थिक स्थिति को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रूपये के आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। माननीया केन्द्रीय वित मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम समेत छोटी इकाईयों को 3 लाख करोड़ रूपये का बिना गारंटी के कर्ज उपलब्ध कराने की सुविधा दी गयी है। कर्ज नहीं चुका पा रहे MSME इकाईयों के लिए कुल 20000/– करोड़ रूपये के कर्ज सुविधा की घोषणा की गई है। MSME की परिभाषा भी बदली गयी है।

इसके अलावा गैर–बैंकिंग कंपनियों (NBFC), आवास वित्त कंपनियों (HFC) और सूक्ष्म राशि का ऋण देने वाले संस्थानों (MFI) के लिए 30000/– करोड़ रूपये के विशेष नकदी योजना की घोषणा, टीडीएस एवं टीसीएस की दर में 31 मार्च 2021 तक के लिए 25 प्रतिशत की कटौती, कंपनियों के लिए ईपीएफ में कर्मचारियों के मूल वेतन के 12 प्रतिशत के बराबर सांविधिक योगदान की जगह 10 प्रतिशत करने की छूट समेत कई उपायों की घोषणा की गई है परन्तु इसका कार्यान्वयन सही रूप में किस प्रकार से होता है, वह आने वाला समय बताएगा।

लॉकडाउन अवधि में आवश्यक वस्तुओं यथा–खाने–पीने की वस्तुओं, दवाओं की बिक्री तथा इसके निर्माण को छोड़कर प्रायः सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियाँ लगभग ठप रहने के कारण राज्य के उद्यमियों एवं व्यापारियों को बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि अब राहत की बात है कि लॉकडाउन की समाप्ति के उपरान्त व्यावसायिक गतिविधियाँ एवं औद्योगिक इकाईयाँ पुनः संचालित हो गयी हैं और आशा है कि धीरे–धीरे ये व्यावसायिक गतिविधियाँ पुनः व्यवस्थित रूप से चलने लगेंगी, लेकिन कोरोना महामारी का राज्य में तथा देश में हो रही वृद्धि, काफी चितंनीय है एवं इस समय अधिक सावधानी रखने की जरूरत है।

बन्धुओं, लॉकडाउन का असर चैम्बर की गतिविधियों पर भी रहा क्योंकि आदेशानुसार चैम्बर के कार्यालय को भी बन्द करना पड़ा फिर भी हमने लॉकडाउन की अवधि में सदस्यों को हर प्रकार की सूचना ससमय मिले, इसका पूर्ण प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त जो आवश्यक पत्राचार थे वो भी On Line Email के माध्यम से किया।

लॉकडाउन की अवधि में श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय केन्द्रीय संचार मंत्री, श्री रामविलास पासवान, माननीय केन्द्रीय मंत्री उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, माननीय केन्द्रीय वित राज्य मंत्री तथा राज्य मंत्री श्री नित्यानन्द राय जी ने दूरभाष पर सम्पर्क कर राज्य के व्यावसायिक गतिविधियों की जानकारी ली।

दिनांक 5 एवं 6 मार्च 2020 को कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की गवर्निंग परिषद् की बैठक चैम्बर प्रांगण में हुई। उस बैठक में मैं भी आमंत्रित था। संबंधित समाचार इसी बुलेटीन में प्रकाशित है।

दिनांक 5 मार्च 2020 को ही खादी एण्ड भिलेज इण्डस्ट्रीज कमीशन द्वारा ''रोजगार युक्त गाँव'' पर आधारित जोनल लेवल कार्यशाला का आयोजन चैम्बर प्रांगण में हुआ जिसका उद्घाटन मेरे द्वारा किया गया।

आयकर विभाग एवं चैम्बर की ओर से चैम्बर प्रांगण में 6 मार्च 2020 को ''विवाद से विश्वास योजना'' पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम काफी उपयोगी रहा। कार्यक्रम का सार संक्षेप इसी बुलेटीन में आपकी सूचनार्थ प्रकाशित है ।

बिहार सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि की गयी है जो 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी है। इसकी कॉपी सदस्यों को भेज दी गई है। सदस्यों की सूचनार्थ इस बुलेटीन में भी उसे प्रकाशित किया गया है।

"Chief Minister's Relief Fund, Bihar" में विभिन्न संस्थाओं एवं चैम्बर के सदस्यों से Donation की अपील चैम्बर द्वारा की गई थी। प्राप्त चेकों को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा दिया गया है लेकिन कोशिश की जा रही है कि अन्य सदस्य भी अपना Donation दें ।

व्यवसायियों की समस्याओं के निराकरण हेतु कुछ प्रेस विज्ञप्तियाँ भी समय–समय पर चैम्बर द्वारा जारी की गयी है जो सदस्यों की सूचनार्थ बुलेटीन में प्रकाशित है ।

आपकी व्यावसायिक गतिविधियाँ शीघ्र प्रगति के पथ पर अग्रसर हों, इन्हीं कामनाओं सहित,

सादर

आपका

**पी० के० अग्रवाल**

आयकरदाताओं की सुविधा के लिए आयकर विभाग में एक विशेष सेल का गठन किया गया है, जो हर प्रकार से मामले के निपटारा में सहायता करेगा। चैम्बर की ओर से एन. के. लाल ने प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को ज्ञापन समर्पित किया।

आयकर विभाग की ओर से प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त वीरेन्द्र सिंह के अतिरिक्त, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आर. बी. नायक, आयकर आयुक्त आर. बी. मिश्रा, एच. के. लाल, बी. राजाराम, संयुक्त आयकर आयुक्त रोहित राज, अजय सिंह तथा सहायक आयकर आयुक्त विजय भास्कर उपस्थित थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों के साथ विभिन्न व्यावसायिक संगठनों तथा प्रोफेशनल संगठन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेन्ट ऑफ इंडिया, पटना चैप्टर, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, बिहार कॉमर्शियल टैक्सेज बार एसोसिएशसन, चार्टर्ड एकाउंटेन्ट सोसाइटी ऑफ बिहार, भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हाजीपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया एवं आयकर संबंधी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष मुकेश कुमार जैन एवं एन. के. ठाकुर, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल, महामंत्री अमित मुखर्जी, वरीय सदस्य सुभाष कुमार पटवारी, शशि मोहन, सुनील सराफ, आशीष अग्रवाल, सच्चिदानन्द समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

धन्यवाद ज्ञापन चैम्बर के महामंत्री अमित मुखर्जी ने किया।

**( साभार : राष्ट्रीय सहारा, 7.3.2020 )**

# कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय गवर्निंग परिषद् की दो दिवसीय बैठक

बैठक को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं मंचासीन कैट के अधिकारीगण।

बैठक में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करते कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी. सी. खण्डेलवाल। साथ में उपस्थित कैट के बिहार चैप्टर के मंत्री डॉ. रमेश गाँधी।

बैठक में कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी. सी. भरतीया एवं राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण खण्डेलवाल का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत एवं मेमेंटो भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 5 एवं 6 मार्च 2020 को कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) की गवर्निंग परिषद् की बैठक हुई। बैठक में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल विशेष रूप से आमंत्रित थे।

बैठक में व्यापारियों की समस्याओं एवं उसके निदान पर चर्चा की गयी। चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कहा कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स छोटे-बड़े व्यापारियों के हित में काफी बेहतर काम कर रहा है। चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज बिहार में CAIT को हर सम्भव सहयोग को तैयार है।

कन्फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी. सी. भरतीया ने महिलाओं को उद्योग एवं व्यापार से जोड़ने पर बल दिया। मौके पर कन्फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण खण्डेवाल, बिहार चैप्टर के चेयरमैन श्री कमल कुमार नोपानी, बिहार चैप्टर के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार वर्मा ने भी सम्बोधित किया तथा बिहार चैप्टर के मंत्री डॉ. रमेश गाँधी ने कार्यक्रम का संचालन किया।

सभागार में उपस्थित कैट एवं चैम्बर के सम्मानित सदस्यगण।

## अप्रैल की तुलना मई में टैक्स संग्रह में तीन गुना वृद्धि

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि दो महीने से ज्यादा के लॉकडाउन के बाद अब अर्थव्यवस्था की गाड़ी धीरे-धीरे पटरी पर आने लगी है। अप्रैल में जहाँ रोजाना औसतन 135 करोड़ का, मई में यह बढ़कर दोगुना से ज्यादा 310 करोड़, तो जून के मात्र नौ दिनों में 427 करोड़ का माल बाहर से बिहार में बिकने के लिए आया। इसी तरह टैक्स संग्रह में भी अप्रैल की तुलना मई में तीन गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल में बाहर से चार हजार 74 करोड़ के माल बिकने के लिए आये थे, जिनमें मुख्य रूप से खाद्य सामग्री, दवा, चिकित्सा उपकरण और उर्वरक समेत अन्य शामिल थे। वहीं, मई में इससे दो गुना से ज्यादा यानी नौ हजार 630 करोड़ का माल आया, जिनमें आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रिकल सामान, सीमेंट, कपड़ा और वाहन समेत अन्य के छह हजार 568 करोड़ के माल शामिल थे। इन सेक्टरों को निर्माण कार्य शुरू होने का लाभ मिल रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में इस वर्ष अप्रैल के कर संग्रह में 81.61 फीसदी की कमी थी। वहीं, मई में इसमें काफी सुधार हुआ और यह कमी 42.14 प्रतिशत तक पहुँच गयी। अप्रैल 2020-21 में वाणिज्य कर, ट्रांसपोर्ट, निबंधन, खनन और भू-राजस्व से जहाँ 467 करोड़ का टैक्स संग्रह हुआ था। वहीं, मई में इसमें करीब तीन गुना की बढ़ोतरी हुई और यह बढ़ कर एक हजार 317 करोड़ पहुँच गया। अप्रैल में निबंधन से सिर्फ चार करोड़, तो मई में यह बढ़कर 60 करोड़ 78 लाख तक पहुँच गया। इसी तरह ट्रांसपोर्ट में टैक्स संग्रह 31 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ और वाणिज्य कर में 256 करोड़ 21 लाख से बढ़ कर 693 करोड़ 90 लाख तक यह संग्रह पहुँच गया है।

(साभार : प्रभात खबर, 11.6.2020)

# खादी एण्ड भिलेज इण्डस्ट्रीज कमीशन द्वारा ''रोजगार युक्त गाँव'' पर आधारित जोनल लेवल वर्कशॉप का चैम्बर अध्यक्ष ने किया उद्घाटन

वर्कशॉप का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनके पीछे चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन। साथ में खादी एण्ड भिलेज इण्डस्ट्रीज कमीशन के अधिकारीगण।

दिनांक 05 मार्च 2020 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में खादी एण्ड भिलेज इण्डस्ट्रीज कमीशन के प्रदेश कार्यालय द्वारा **"रोजगार युक्त गाँव" ( RYG )** पर जोनल लेवल वर्कशॉप हुई।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने दीप प्रज्जवलित कर वर्कशॉप का उद्घाटन किया।

उक्त अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन भी उपस्थित थे।

कार्यशाला में पुष्पगुच्छ देकर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल का स्वागत करते आयोग के पदाधिकारी।

## 60 अनुसूचित नियोजनों की 1-4-2020 से प्रभावी न्यूनतम मजदूरी की दरें

| क्र० सं० | कामगारों की कोटि | दिनांक 1.12.2016+1.4.2017+1.10.2017+1.4.2018+1.10.2018 +1.4.2019+1.10.2019 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें ( रुपये में ) | परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक 1.4.2020 से प्रभावी होगी | 1.4.2020 से लागू कुल मजदूरी की दरें ( स्तंभ 3+4 ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | अकुशल | 237.00 + 5.00 + 5.00 + 7.00 + 3.00 + 11.00 + 9.00 = 277.00 | 10.00 | 287.00 प्रति दिन |
| 2 | अर्द्धकुशल | 247.00 + 5.00 + 5.00 + 8.00 + 3.00 + 11.00 + 10.00 = 289.00 | 10.00 | 299.00 प्रति दिन |
| 3 | कुशल | 301.00 + 6.00 + 6.00 + 9.00 + 3.00 + 15.00 + 12.00 = 352.00 | 12.00 | 364.00 प्रति दिन |
| 4 | अतिकुशल | 367.00 + 7.00 + 7.00 + 11.00 + 4.00 + 19.00 + 14.00 = 429.00 | 15.00 | 444.00 प्रति दिन |
| 5 | पर्यवेक्षीय / लिपिकीय | 6799.00 + 136.00 + 139.00 + 212.00 + 73.00 + 324.00 + 272.00 = 7955.00 | 272.00 | 8227.00 प्रति माह |

# RS. 20 LAKH CRORE RELIEF PACKAGE ANNOUNCEMENT BY SMT. NIRMALA SITARAMAN, UNION FINANCE MINISTER

The five part stimulus package announced beginning May 13 comprised Rs. 5.94 Lakh crore in the first tranche that provided credit line to small businesses and support to shadow banks and electricity distribution companies.

**STIMULUS PROVIDED BY ANNOUNCEMENTS IN PART-1**

| SN | ITEM | (Rs. Cr.) |
|---|---|---|
| 1 | Emergency W/C Facility for Business incl MSMEs | 3,00,000 |
| 2 | Subordinate Debt for Stressed MSMEs | 20,000 |
| 3 | Fund of Funds for MSME | 50,000 |
| 4 | EPF Support for Business & Workers | 2800 |
| 5 | Reduction in EPF rates | 6750 |
| 6 | Special liquidity scheme for NBFC/HFC/MFIs | 30,000 |
| 7 | Partial credit guarantee scheme 2.0 for Liabilities of NBFCs/MFIs | 45,000 |
| 8 | Liquidity Injection for DISCOMs | 90,000 |
| 9 | Reduction in TDS/TCS rates | 50,000 |
| | **Sub Total** | **5,94,450** |

The second tranche included free foodgrain to stranded migrant workers for two months and credit to farmers, totalling Rs. 3.10 lakh crore.

**STIMULUS PROVIDED BY ANNOUNCEMENTS IN PART-2**

| SN | ITEM | (Rs. Cr.) |
|---|---|---|
| 1 | Free Food grain supply to Migrant Workers for 2 months | 3500 |
| 2 | Interest subvention for MUDRA Shishu Loans | 1500 |
| 3 | Special Credit Facility to Street Vendors | 5000 |
| 4 | Housing CLSS-MIG | 70,000 |
| 5 | Additional Emergency Working Capital through NABARD | 30,000 |
| 6 | Additional credit through KCC | 2,00,000 |
| | **Sub Total** | **3,10,000** |

Spending on Agri infrastructure and other measures for agriculture and allied sectors in the third tranche totalled to Rs. 1.5 Lakh crore.

**STIMULUS PROVIDED BY ANNOUNCEMENTS IN PART-3**

| SN | ITEM | (Rs. Cr.) |
|---|---|---|
| 1 | Food Micro enterprises | 10,000 |
| 2 | Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana | 20,000 |
| 3 | TOP to TOTAL : Operation Greens | 500 |
| 4 | Agri Infrastructure Fund | 1,00,000 |
| 5 | Animal Husbandry Infrastructure Development Fund | 15,000 |
| 6 | Promotion of Herbal Cultivation | 4,000 |
| 7 | Beekeeping Initiative | 500 |
| | **Sub Total** | **1,50,000** |

The fourth and fifth tranches that dealt mostly with structural reforms totalled to Rs. 48,100 crore

**STIMULUS PROVIDED BY ANNOUNCEMENTS IN PART-4 & PART-5**

| SN | ITEM | (Rs. Cr.) |
|---|---|---|
| 1 | Viability Gap Funding | 8,100 |
| 2 | Additional MGNREGS allocation | 40,000 |
| | **Sub Total** | **48,100** |

Here is the summary of all the announcements so far, totalling over Rs. 20 Lakh crore

**OVERALL STIMULUS PROVIDED BY ATMANIRBHAR BHARAT PACKAGE**

| SN | ITEM | | (Rs. Cr.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Part - 1 | | 5,94,550 |
| 2 | Part - 2 | | 3,10,000 |
| 3 | Part - 3 | | 1,50,000 |
| 4 | Part - 4 & 5 | | 48,100 |
| | **Sub Total** | | **11,02,650** |
| 5 | Earlier Measures inclPMGKP | earlier slide | 1,92,800 |
| 6 | RBI Measures (Actual) | | 8,01,603 |
| | **Sub Total** | | **9,94,403** |
| | **GRAND TOTAL** | | **20,97,053** |

**(Source : Times of India, Business News, 17.05.2020)**

# PM MODI LAUNCHES CHAMPIONS: TECHNOLOGY PLATFORM TO EMPOWER MSMEs

**Posted On: 01 JUN 2020 5:04PM by PIB Delhi**

Prime Minister Shri Narendra Modi today launched the technology platform CHAMPIONS which stands for **C**reation and **H**armonious **A**pplication of **M**odern **P**rocesses for **I**ncreasing the **O**utput and **N**ational **S**trength.

As the name suggests, the portal is basically for making the smaller units big by solving their grievances, encouraging, supporting, helping and hand holding. It is a real one-stop-shop solution of MSME Ministry.

This ICT based system is set up to help the MSMEs in present difficult situation and also to handhold them to become national and international champions.

**Detailed objectives of CHAMPIONS:**

i. **Grievance Redressal :** To resolve the problems of MSMEs including those of finance, raw materials, labor, regulatory permissions etc particularly in the Covid created difficult situation;

ii. **To help them capture new opportunities :** including manufacturing of medical equipments and accessories like PPEs, masks, etc and supply them in National and International markets;

iii. **To identify and encourage the sparks :** i.e. the potential MSMEs who are able to withstand the current situation and can become national and international champions.

It is a technology packed control room-cum-management information system. In addition to ICT tools including telephone, internet and video conference, the system is enabled by Artificial Intelligence, Data Analytics and Machine Learning. It is also fully integrated on real time basis with GOI's main grievances portal CPGRAMS and MSME Ministry's own other web based mecha-

nisms. The entire ICT architecture is created in house with the help of NIC in no cost. Similarly, the physical infrastructure is created in one of ministry's dumping rooms in a record time.

As part of the system a network of control rooms is created in a Hub &Spoke Model. The Hub is situated in New Delhi in the Secretary MSME's office. The spokes are in the States in various offices and institutions of MSME Ministry. As of now, 66 state level control rooms are createdand made functional. They are connected through video conference also in addition to the portal of Champions. A detailed standard operating procedure (SOP) has been issue to the officers and staff have been deployed and training has been conducted for them.

On this occasion, Minister of MSME and Road Transport and Highways Shri Nitin Gadakari was also present.

## सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के टर्नओवर की सीमा को बढ़ाने की मांग

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने मध्यम उद्यमों की भांति सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए भी निवेश एवं टर्नओवर की सीमा बढ़ाने की मांग की है। इस संबंध में केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्री तथा वित्त मंत्री को पत्र लिख एमएसएमई के लिए परिभाषित नए मानदंडों के माध्यम से मध्यम उद्यमों के अनुपात में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के निवेश तथा टर्नओवर की सीमा बढ़ाने का आग्रह किया गया है। चैम्बर के अध्यक्ष पी. के अग्रवाल ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत मध्यम उद्यमों की निवेश और टर्नओवर की घोषित सीमा 20 एवं 100 करोड़ से बढ़ा कर 50 और 250 करोड़ कर दिया गया है। सकल घरेलू उत्पाद में करीब 29 प्रतिशत योगदान देने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। इसको ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के निवेश तथा टर्नओवर की सीमा को बढ़ा कर 2 करोड़ और 12 करोड़ किया जाना चाहिए। इनके प्रोत्साहन से अधिक से अधिक रोजगार का सृजन होगा।

**( साभार : दैनिक भास्कर, 12.6.2020 )**

## एमएसएमई के बैंक लोन पर स्टाम्प ड्यूटी माफ हो

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को बैंकों से दिए जाने वाले कर्ज पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी को कम कर टोकन राशि निर्धारित करने का आग्रह किया है। चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी से देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को उबारने के लिए केन्द्र सरकार ने 3 लाख करोड़ (20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज) के ऑटोमेटिक लोन की सुविधा बिना किसी गारंटी के देने का निर्णय लिया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि 29 फरवरी, 2020 को बैंक का लोन आउटस्टैंडिग चाहे वह टर्म लोन हो या वर्किंग कैपिटल या कोई अन्य लोन, काउन्ट सभी को मिलकार उसका 20 प्रतिशत राशि कर्ज के रूप में एमएसएमई को दिया जाए। इस राशि पर ब्याज की दर बैंकों से लिए जाने वाले अन्य कर्ज की तुलना में कम होगी और इस लोन का वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, काउन्ट के अर्न्तगत एक साल का अधिस्थन अवधि के बाद चार साल में भुगतान करना है। श्री अग्रवाल ने बताया कि लोन देने के समय बैंक द्वारा जो हाईपोथिकेशन एग्रीमेंट कराया जाता है उसमें उस लोन राशि का 290 रुपये प्रति लाख की दर से स्टाम्प ड्यूटी लगाया जाता है। यानि यदि लोन राशि एक करोड़ का है तो उस पर 29000 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी जो छोटे उद्यमियों के लिए उपयुक्त नहीं है। सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गजट अधिसूचना 1 अगस्त, 2012 के द्वारा इस तरह के बैंक लोन हाईपोथिकेशन के लिए अधिकतम राशि 5000 रुपये तय की गयी थी, लेकिन पुनः गजट अधिसूचना 21 जुलाई, 2016 द्वारा इस राशि को फर्स्ट 30,000 रुपये पर 85 रुपये स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान किया गया और उसके ऊपर अतिरिक्त प्रत्येक 10,000 रुपये के लिए 29 रुपये (290 रुपये प्रति लाख) कर दिया गया।

**( साभार : राष्ट्रीय सहारा, 6.6.2020 )**

## सिर्फ वास्तविक बिजली खपत की चार्ज ले सरकार

**बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने अधिकारियों को लिखा पत्र**

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने लॉकडाउन के कारण औद्योगिक इकाइयों एव व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हुए आर्थिक नुकसान के आलोक में राज्य सरकार से मांग की है कि राज्य में कार्यरत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा औद्योगिक इकाइयों को लॉकडाउन अवधि के डिमांड (फिक्सड) चार्ज को वास्तविक खपत, जो मीटर में रिकॉर्ड हुआ है, के अनुसार ही चार्ज किया जाए। साथ ही बिजली विपत्रों के भुगतान की निर्धारित तिथि का विस्तार किया जाए। चैम्बर अध्यक्ष पी. के अग्रवाल ने कहा कि कुछ आवश्यक व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को छोड़कर करीब सभी प्रकार के उद्योग, व्यवसाय, दुकान, मॉल, सिनेमा हॉल, शिक्षण संस्थान आदि प्रतिष्ठानों का कार्य पूर्णतः बन्द रहा है, जिसके कारण राज्य के उद्यमी एवं व्यवसायी घोर आर्थिक संकट से गुजरे हैं। उन्होंने कहा कि यह संतोष की बात है कि 1 जून से सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिवधियों को प्रारम्भ करने को अनुमति प्रदान की है, परन्तु पिछले तीन माह से बन्द व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को सामान्य होने में करीब एक से दो माह का समय लगेगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि लॉकडाउन अवधि में औद्योगिक इकाइयों एवं प्रतिष्ठानों में किसी प्रकार की बिजली की खपत नहीं हुई है, परन्तु बिजली का जो बिल आया है, उसमें यूनिट चार्ज तो वास्तविक खपत के अनुसार बिल किया गया है, लेकिन डिमांड चार्ज उद्योगों के बंद रहने पर भी चार्ज किया गया है।

इस संबंध में चैम्बर ने अनुरोध किया है कि डिमांड (फिक्सड) चार्ज को माफ किया जाना चाहिए या वास्तविक बिजली खपत के अनुसार बिल दिया जाना चाहिए। इकाइयों के बन्द रहने के बावजूद जो डिमांड चार्ज जोड़ा गया है वह काफी अधिक है, जिसके कारण राज्य के उद्यमी बिजली बिल जमा करने में असमर्थ हो गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. एवं अध्यक्ष, बिहार विद्युत विनियामक आयोग से अनुरोध किया गया है कि लॉकडाउन अवधि के डिमांड चार्ज को वास्तविक बिजली खपत, जो मीटर में रिकॉर्ड हुआ है, के अनुसार ही चार्ज किया जाए एवं बिजली विपत्रों के भुगतान की निर्धारित तिथि का विस्तार किया जाए। उन्होंने बताया कि 31 मई को केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानन्द राय से भी दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया, जिस पर उन्होंने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है।

**( साभार : राष्ट्रीय सहारा, 2.6.2020 )**

## औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में संशोधन का प्रस्ताव दें

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि रोजगार सृजन के कार्यो की लगातार मॉनिटरिंग करते रहें। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2016 में आवश्यकता अनुसार संशोधन के लिए शीघ्र प्रस्ताव दें, जिससे बिहार में उद्योग धंधे स्थापित करने वालों को मदद मिल सके और बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध हो। श्रम प्रधान योजनाओं को प्राथमिकता में रखें। बिहार में रह रहे श्रमिकों के साथ -साथ बाहर से आए श्रमिकों के रोजगार सृजन के लिए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव एवं अन्य वरीय अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण से बचास के लिए किए जा रहे कार्यो की समीक्षा की और कई निर्देश दिए। कहा कि आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए स्किल सर्वे के आंकड़ों के आधार पर नियोक्ता एवं इच्छुक श्रमिकों की आवश्यकता को मैच करते हुए रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मानसून की संभावना को देखते हुए बाढ़ निरोधक और सुरक्षात्मक कार्यों को तत्काल पूर्ण करें। फरवरी, मार्च एवं अप्रैल में भारी बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति को लेकर दिए जा रहे कृषि इनपुट अनुदान की राशि शेष बचे हुए किसानों के खाते में भी शीघ्र भेजें।

**( विस्तृतः हिन्दुस्तान, 8.6.2020 )**

## घर बैठे मिलेगा दुकान-कारखाना का लाइसेंस

दुकान, फैक्ट्री हो या ठेका लेने के लिए लाइसेंस, सब घर बैठे ही मिलेंगे। अभी कुछ ही सेवा में ऑनलाइन लाइसेंस दिए जा रहे हैं। सभी तरह के लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए श्रम संसाधन विभाग ने खाका तैयार कर लिया है। विभाग की योजना है कि किसी तरह का लाइसेंस लेने के लिए लोगों को कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पडे। उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी के साथ बैठक कर श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा व अपर मुख्य सचिव सुधीर कुमार ने इस मसले पर आवश्यक रणनीति तय की। श्रम संसाधन विभाग की ओर से दुकान चलाने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। इसी तरह फैक्ट्री चलाने वाले भी लाइसेंस लेते हैं, जबकि ठेका लेने वाले ठेकेदारों को भी लाइसेंस लेना पड़ता है। कोरोना के कारण लाखों लोगों की बिहार वापसी के बाद अन्य विभागों की तरह श्रम संसाधन ने भी तय किया कि विभाग की ओर से दिए जाने वाले सभी लाइसेंस ऑनलाइन हों। साथ ही एक समय सीमा भी तय की जाएगी। अगर तय अवधि में लाइसेंस निर्गत नहीं हुए तो उसे स्वत: जारी माना जाएगा।

**श्रम के पोर्टल पर अब तक 75 हजार मजदूरों का पंजीकरण**

वहीं विभाग की ओर से खोले गए पोर्टल पर अब तक 75 हजार मजदूरों ने पंजीकरण करा लिया है। श्रम मंत्री ने कहा कि पोर्टल पर मजदूरों के पंजीकरण से सरकार को कार्ययोजना बनाने में सुविधा होगी। मंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन और उद्योग विभाग की ओर से प्रवासी मजदूरों की स्किलिंग की गई है। इन स्किल्ड मजदूरों का डाटा नियोजन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

**( साभार : हिन्दुस्तान, 5.6.2020 )**

## राज्य में बनाये गये 13 नये औद्योगिक क्षेत्र, होगा निवेश

**पहल निवेश के लिए उपलब्ध करायी गयी जमीन**

**औद्योगिक क्षेत्र बूस्टर डोज होंगे साबित**

उद्योग विभाग ने चार बियाडा क्षेत्रों मसलन पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में 13 नये औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये हैं। उद्योग विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। ये औद्योगिक क्षेत्र चीनी मिलों से अधिगृहित की गयी 2442 एकड़ जमीन पर अधिसूचित किये गये हैं। इस तरह बिहार में उद्योगों के निवेश के लिए भूमि उपलब्ध करायी गयी है। बिहार के औद्योगिक विकास के लिए ये औद्योगिक क्षेत्र बुस्टर डोज साबित हो सकते हैं। प्रदेश में अब 52 की जगह 65 औद्योगिक क्षेत्र हो गये हैं। उद्योग विभाग इस जमीन के आधार पर बाहरी निवेशकों को निवेश के लिए आमंत्रित करने जा रहा है। उल्लेखनीय है कि नये अधिसूचित किये गये औद्योगिक क्षेत्र की यह जमीन बिहार राज्य चीनी निगम की आठ इकाइयों लोहट, हथुआ डिस्टिलरी, बनमनखी, वारसलीगंज, गोरौल, गुरारू, न्यू सीवान और सीवान फर्म की हैं।

**अधिसूचित किये गये औद्योगिक क्षेत्र :** विभाग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बियाडा पटना के दायरे में यह औद्योगिक क्षेत्र नवादा जिला स्थित वारसलीगंज में 73.58 एकड़, गया स्थित गुरारू में 27.36 एकड़, बिहटा स्थित बिहटा फार्म और बक्सर स्थित नवानगर फार्म की करीब 790 एकड़ भूमि औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित की गयी है।

**मुजफ्फरपुर व सीवान में भी जमीन चिह्नित :** मुजफ्फरपुर बियाडा के दायरे में पूर्वी चपारण स्थित सुगौली फार्म की 55 एकड़, मुजफ्फरपुर मोतीपुर फार्म लैंड की करीब 897 एकड़ से अधिक और गोपालगंज स्थित हथुआ डिस्टिलरी सहित करीब 105 एकड़, वैशाली जिले में गोरौल की करीब 54 एकड़ से अधिक, सीवान जिले में न्यू सीवान की 28 एकड़ से अधिक जमीन और सीवान में 32 एकड़ से अधिक जमीन औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित की गयी है।

**( साभार : प्रभात खबर, 1.6.2020 )**

## सूचना

**कोरोना वायरस (COVID-19) की वजह से मार्च, अप्रैल एवं मई 2020 की BCCI BULLETIN प्रकाशित नहीं हो पाई है।**

## बिहार स्पन सिल्क मिल का होगा विकास : श्याम रजक

बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की इकाई बिहार स्पन सिल्क मिल्स, बहादुरपुर को भागलपुर सिल्क सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने इस आशय की जानकारी दी।

उद्योग मंत्री ने बताया कि इस निर्णय के तहत सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए उद्यमी के साथ एकरारनामा की कार्रवाई भी पूरी हो चुकी है। तय योजना के अनुसार रेशम, खादी, मलमल व हस्तकरघा से संबंधित उद्योग और भागलपुर क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए एकीकृत कपड़ा पार्क की स्थापना की जाएगी। एकीकृत टेक्सटाइल्स पार्क बनेगा। तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना होगी। सिल्क सिटी से संबंधित अन्य सहायक इकाईयों को शुरू किया जाएगा।

**( साभार : दैनिक जागरण, 2.6.2020 )**

## नये उद्योग लगाने वालों को सरकार देगी राहत

राज्य सरकार नये उद्योग लगाने वालों को राहत देगी। इस कोरोना संकट काल में लोगों को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है। इस क्षेत्र में सरकार लगातार काम कर रही है। रोजगार सृजन के कार्यो की लगातार उच्चस्तरीय समीक्षा और उनकी मॉनीटरिंग की जा रही है ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिल सके। श्रम प्रधान योजनाओं को प्राथमिकता में रखते हुए तमाम काम किये जा रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के साथ ही बाहर से आये लोगों के स्किल की मैपिंग की जा रही है ताकि उनके हुनर के अनुसार उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा सके। राज्य सरकार ने रोजगार उपलब्धता कराने को लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान अब तक करीब 4 लाख 46 हजार से अधिक योजनाओं में 5 करोड़ 43 लाख से ज्यादा मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है। किसी को रोजगार के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़े, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर राज्य सरकार रोजगार सृजन करा रही है।

**( साभार : प्रभात खबर, 10.6.2020 )**

## बिहार की 300 कंपनियों को होगा तत्काल फायदा

• खाद्य प्रसंस्करण के लिए वरदान साबित होगा बदलाव • खाद्य प्रसंस्करण के कुटीर उद्योग का बिछ सकेगा जाल

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की नई परिभाषा से संबंधित अधिसूचना बीते एक जून को जारी हो गई है। नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उद्यम के लिए अब एक करोड़ रुपये तक के निवेश की अनुमति मिल गई है। पहले यह निवेश सीमा मात्र 25 लाख रुपये तक थी।

नई परिभाषा राज्य के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए वरदान साबित हो सकती है। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के कुटीर उद्योगों का जाल बिछ सकेगा। एमएसएमई मंत्रालय के टूलरूम व ट्रेनिंग सेंटर के सलाहकार देवेन्द्र सिंह कहते हैं कि यह कदम राज्य के खाद्य प्रसंस्करण उद्यम को गाँव-गाँव और घर-घर तक पहुँचा देगा। केवल उत्तर बिहार में मखाना प्रसंस्करण के सैकड़ों यूनिट खुलने का रास्ता साफ हो गया है। अभी मखाना प्रसंस्करण में महज एक बड़ी यूनिट ही कार्यरत है। जबकि इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। बताते चले कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के महत्व को देखते हुए 'थ्रस्ट' एरिया में रखा गया है। लगभग तीन सौ कंपनियों को तत्काल फायदा होगा। अब ये लघु से सीधे सूक्ष्म उद्यम में शामिल हो गई हैं। इस श्रेणी से संबंधित सभी सरकारी लाभ इन्हें मिलेगा।

**( साभार : हिन्दुस्तान, 3.6.2020 )**

## लकड़ी आधारित उद्योग होंगे प्राथमिकता सूची में !

राज्य में लकड़ी आधारित उद्योगों के दिन बहुरेंगे। राज्य सरकार जल्द इसे प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची में शामिल कर सकती है। इस पर गंभीरता से मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को औद्योगिक नीति में बदलाव के निर्देश दिये हैं।

इस बदलाव से लकड़ी आधारित उद्योगों को औद्योगिक नीति-2016 में दी जाने वाली सभी सुविधाएं मसलन अनुदान, जीएसटी प्रतिपूर्ति आदि सुविधाएँ मिलने लगेंगी। पॉपुलर पैदा करने वाले किसानों के भी दिन बहुरेंगे। राज्य सरकार

की हरित क्रांति की पहल पर बीते वर्षों में बिहार में काफी मात्रा में पॉपुलर पैदा होने लगा है। मगर उसका व्यावसायिक उपयोग नहीं हो रहा। किसान उसे जलावन में प्रयोग करने को विवश हैं। वहीं, राज्य के तमाम टिंबर और प्लाईवुड उद्योग से जुड़े लोग अधिकतर माल यूपी और हरियाणा से मंगवा रहे हैं। राज्य सरकार में विचाराधीन इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगते ही इस क्षेत्र से जुड़े किसानों और व्यवसायियों की एक बड़ी मांग पूरी हो जाएगी। लकड़ी आधारित नए उद्योगों के खुलने का रास्ता साफ होते ही काफी संख्या में रोजगार सृजन भी होगा। वहीं किसान और अधिक मात्रा में पॉपुलर आदि की खेती में दिलचस्पी लेंगे।

**मंथन : • उद्यमी पंचायत में उठी थी मांग, मंथन में जुट गया है उद्योग विभाग • प्राथमिकता में शामिल होने पर यूपी-हरियाणा पर निर्भरता होगी कम**

**कृषि उपज में शामिल हुआ तो घटेगी जीएसटी :** अभी 70 प्रतिशत टिबर पीलिंग होकर उत्तर प्रदेश से बिहार में आ रहा है। अभी इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लग रहा है। व्यापारियों की मांग रही है कि इसे वन की जगह कृषि उपज की श्रेणी में रखा जाए। यदि ऐसा हुआ तो जीएसटी घटकर पाँच प्रतिशत रह जाएगा।

**उद्योग लगाने वालों को यह होगा लाभ :** राज्य सरकार द्वारा काष्ठ आधारित उद्योगों को प्राथमिकता सूची में शामिल करने पर ऐसे उद्योग लगाने वालों को कई स्तर पर सरकारी मदद मिलने लगेगी। प्राथमिकता सूची वाले उद्योगों को ब्याज अनुदान स्वीकृत परियोजना का 30 प्रतिशत होगा। इसे धनराशि के रूप में देखें तो इस अनुदान की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये होगी। कृषि भूमि को औद्योगिक भूमि में बदलने के लिए लगने वाले भूमि उपयोग शुल्क को भी इकाई द्वारा व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने पर राज्य सरकार शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति देती है। प्राथमिकता क्षेत्र की इकाइयों को परियोजना लागत की शत-प्रतिशत जीएसटी की प्रतिपूर्ति होगी।

**पुरानी की जगह लगेंगी नई विनियर मशीनें :** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पूर्व में कराई गई बैठक में व्यवसायियों ने बताया था कि वे अस्सी के दशक की विनियर मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें चार प्रतिशत तक वेस्टेज आती है, जबकि हरियाणा आदि में लगी मशीनों में यह महज आधा प्रतिशत है। सरकार की प्राथमिकता में आते ही नई अपग्रेड मशीनें, पुरानी का स्थान ले सकेंगी। इससे उद्यमियों की लागत घटेगी और प्रतिस्पर्द्धा में बने रहने में मदद मिलेगी। **( साभार : हिन्दुस्तान, 10.6.2020 )**

## सूबे में नियुक्त हो सकते हैं निवेश सलाहकार

**• सचिव स्तर के अफसरों को सलाहकार बनाने पर विचार, उप निवेश सलाहकार भी होंगे • निवेशकों और राज्य सरकार के बीच सेतु की भूमिका निभाएंगे यह निवेश सलाहकार**

कोविड - 19 के दौर में राज्य सरकार नए निवेश पर फोकस कर रही है। इसके लिए कई स्तर पर कवायद चल रही है। औद्योगिक निवेश नीति में इसे लेकर कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार हर राज्य में निवेश सलाहकार नियुक्त करने पर भी विचार कर रही है।

यह सलाहकार संबंधित राज्य में निवेश की संभावनाएँ तलाशेंगे। निवेशकों की जरूरतों की जानकारी सरकार को देंगे। यानि यह निवेश सलाहकार निवेशकों और सरकार के बीच सेतु का काम करेंगे। यूं तो उद्योग विभाग के अधीन राज्य सरकार ने मुम्बई में निवेश आयुक्त कार्यालय खोल रखा है। इस कार्यालय के जरिए समय-समय पर कई तरह की कवायद भी निवेश को लेकर होती रहती है। मगर सरकार की आशा इससे कहीं अधिक अच्छे नतीजे हासिल करने की है। सो इस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने पर विचार चल रहा है। इसी क्रम में देश के विभिन्न राज्यों में निवेश सलाहकार नियुक्त करने पर मंथन चल रहा है। यह विभिन्न विभागों के सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। इनके सहयोग के लिए उप निवेश सलाहकार की तैनाती का भी प्रस्ताव है। यह अपर सचिव, निदेशक या संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। **( विस्तृत : हिन्दुस्तान, 18.6.20 )**

**भारत का राजपत्र**
**The Gazette of India**

सी. जी.- डी. एल.- अ.- 01062020-219680
CG-DL-E-01062020-219680
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II - खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)
PART II - Section 3-Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

**( सं. 1532 ) नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2020/ज्येष्ठ 11, 1942**
**(No. 1532) NEW DELHI, MONDAY , JUNE 1, 2020/JYAISTHA 11,1942**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**
**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 1 जून, 2020

का. आ. 1702 (अ). - 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 7 की उप-धारा (9) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-11, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 30 सितम्बर, 2006 के सां. आ. 1642(ई) के तहत प्रकाशित भारत सरकार, लघु उद्योग मंत्रालय की दिनांक 29 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना के अधिक्रमण में तथा ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्य अथवा विलोपित किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, केन्द्र सरकार एतदद्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए निम्नलिखित मानदंडों को अधिसूचित करती है, नामत:-

1. सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में एक करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पाँच करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है;
2. लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में दस करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पचास करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है;
3. मध्यम उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में पचास करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार दो सौ पचास करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है।

यह अधिसूचना 1.7.2020 से लागू होगी।

[फा. सं. 2/1 (5)/2019-पीएंडजी/नीति (खंड-IV )]
ए. के. शर्मा, सचिव

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ)
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 5 जून, 2020

सा. का. नि - (अ) - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) संशोधन नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 8 के उप नियम (4) के दूसरे परंतुक में,-

(i) "औद्योगिकी नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी सा. का. नि 180 (अ) तारीख 17 फरवरी, 2016" अक्षरों, अंकों, कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर "उद्योग संवर्धन और आंतरिकत व्यापार विभाग द्वारा जारी सा. का. नि. 127 (अ) तारीख 19 फरवरी, 2019" रखे जाएंगे;

(ii)"पाँच वर्ष" शब्दों के स्थान पर शब्द "दस वर्ष" रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 18 के उपनियम (7) के खंड (ख) के उप-खंड (v) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, –

"(v) यदि कोई कंपनी खंड (ख) के उपखंड (iii) की मद (क) या खंड (ख) के उपखंड (iv) की मद (ख) में कवर की जाती है, तो यह ऐसी कंपनी द्वारा जारी किए गए डिबेंचरों के संबंध में, निवेशों या जमाओं की किसी एक या अधिक प्रणाली में, यथा उपखंड (vi) में उपबंधित, में अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो रहे वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले अपने डिबेंचरों की राशि के पन्द्रह प्रतिशत से जो कम न हो, की राशि को 30 अप्रैल वर्ष को या इससे पूर्व प्रत्येक में निवेश या जमा, जैसा भी मामला हो, करेगी;

परंतु कि निवेश या जमा की गई, जैसा भी मामला हो, बकाया राशि किसी भी समय उस वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो रहे वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले डिबेंचरों की राशि के पन्द्रह प्रतिशत से कम नहीं होगी।"

(फा. सं. 01/04/2013-सीएल. V- पार्ट - IV)

के. वी. आर. मूर्ति, संयुंक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 265 (अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसके पश्चात् अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 574 (अ) तारीख 16 अगस्त, 2019 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए थे।

## फॉर्म 26-एएस करदाताओं की वित्तीय कुंडली

**बदलेगी व्यवस्था :** • 50,000 रुपये से अधिक की हर बड़ी खरीद-फरोख्त की जानकारी देनी होगी इस फॉर्म में • अभी सिर्फ दिए गए व बकाया टैक्स की जानकारी होती है • हर तीन महीने पर फॉर्म 26-एएस प्राप्त जानकारी के आधार पर अपडेट होता रहेगा।

करदाताओं के लिए आयकर विभाग से अपनी खरीद-फरोख्त छिपाना अब आसान नहीं होगा। आयकर विभाग ने इस वर्ष फॉर्म 26-एएस का नया वर्जन लागू कर दिया है। इस फॉर्म में करदाताओं की तरफ से 50,000 से अधिक रुपये के सभी प्रकार की लेनदेन, निवेश एवं खरीद-बिक्री की जानकारी होगी। बैंक में जमा की गई राशि से लेकर शेयर बाजार में लगाई गई रकम का पूरा ब्योरा इस फॉर्म में होगा। किसी भी प्रकार के वित्तीय विवाद की भी जानकारी इस फॉर्म में देनी होगी। हर तीन महीने पर फॉर्म 26-एएस प्राप्त जानकारी के आधार पर अपडेट होता रहेगा। इस फॉर्म में करदाताओं के मोबाइल नंबर, आधार नंबर और ई-मेल आईडी भी होंगे।

टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल फॉर्म 26-एएस में करदाताओं के टीडीएस, टीसीएस व टैक्स के स्व मूल्यांकन की ही जानकारी होती है। सभी करदाताओं का फॉर्म 26एएस होता है जिसके आधार पर ही टैक्स रिफंड या टैक्स देनदारी की जानकारी मिलती है। टैक्स विशेषज्ञ एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट ने बताया कि नए 26-एएस फॉर्म की अधिसूचना के तहत इनकम टैक्स के वरिष्ठ अधिकारी को करदाताओं के इस फॉर्म को खोलने का अधिकार दिया गया है। अगर करदाताओं पर वस्तु व सेवा कर संबंधी कोई बकाया है या किसी अन्य प्रकार का टैक्स विवाद चल रहा है तो इसकी जानकारी करदाताओं के फॉर्म 26-एएस में भर दी जाएगी। इस फॉर्म में करदाताओं के कारोबार के टर्नओवर जैसी जानकारी भी शामिल होगी। अगर करदाताओं में कोई निर्यातक या आयातक है तो फॉर्म से यह पता चल जाएगा कि वह किस वस्तु का आयात या निर्यात करता है और उसका कारोबार कितने का है। इस प्रकार फॉर्म 26-एएस करदाताओं की वित्तीय कुंडली का काम करेगा। क्योंकि हर बड़ी खरीद-बिक्री व लेनदेन में पैन कार्ड लिंक होने से यह जानकारी इनकम टैक्स विभाग को मिल जाएगी। बैंक व वित्तीय संस्थान कर्ज देने के लिए आने वाले समय में फॉर्म 26-एएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फॉर्म से ही बैंक या वित्तीय संस्थान को पता लग जाएगा कि करदाताओं का रिकॉर्ड कैसा है। टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक नए फॉर्म 26-एएस में नोटबंदी के दौरान बैंक में जमा की गई राशि की जानकारी भी दी जाएगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 5.6.2020)**

## छोटे जीएसटी करदाताओं को मिली बड़ी राहत: मोदी

**शून्य कारोबार करने वाले अब एसएमएस से दाखिल कर सकेंगे रिटर्न**

उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण जीएसटी में शून्य कर देने या जीरो टैक्स पेमेंट करने वालों को केन्द्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। जीएसटी काउंसिल ने ऐसे करदाताओं के लिए मासिक विवरणी (रिटर्न) दाखिल करने की बाध्यता खत्म कर दी है। इन लोगों को सिर्फ अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एसएमएस के माध्यम से रिटर्न दाखिल करने की सहूलियत दी गयी है। बिहार में टैक्स देने वालों की संख्या 4 लाख 32 हजार है, जिसमें 70 हजार ने शून्य रिटर्न दाखिल किया था। इन लोगों को इस नयी व्यवस्था से काफी लाभ मिलेगा। बिहार के 89% करदाताओं से जीएसटी का कुल 11% और 20 फीसदी बड़े करदाताओं से कर 89% टैक्स प्राप्त होता है।

**जीएसटीआर-3बी फॉर्म भरना अनिवार्य :** डिप्टी सीएम ने कहा कि पहले हरेक करदाता को मासिक रिटर्न दायर करना अनिवार्य होता था। अगर वे जीरो टैक्स भी जमा करते हैं, तब भी उन्हें प्रत्येक महीने रिटर्न भरना होता था। इसके लिए उन्हें जीएसटीएन के पोर्टल पर लॉगिन कर प्रत्येक महीने फॉर्म जीएसटीआर-3बी के अनेक कॉलम को ऑनलाइन ही भरना होता था। परंतु अब वे अपने निबंधित मोबाइल से सिर्फ 14409 नंबर पर एसएमएस करेंगे, तो उन्हें एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त होगा, जिसे कन्फर्म करने पर उनकी विवरणी दाखिल समझी जायेगी। कंपोजिट स्कीम में शामिल कर दाताओं के अतिरिक्त हर करदाता को जीएसटीएन पोर्टल पर जीएसटीआर-3बी फॉर्म भरना अनिवार्य है। इसके आधार पर वे टैक्स का भुगतान करते है। अगर वे निर्धारित तिथि पर टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें 50 रुपये प्रतिदिन तथा शून्य करदेयता की स्थिति में भी 20 रुपये प्रतिदिन की दर से दंड का भुगतान करना होता है। **(साभार : प्रभात खबर, 10.6.2020)**

## चेक बाउंस को अपराध की श्रेणी से हटाने की तैयारी

कारोबारियों की लंबे समय से मांग पर सरकार गंभीर हो गई है और चेक बाउंस को तय समय के लिए गैर अपराधी बनाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में विचार विमर्श भी शुरू कर दिया है। हिन्दुस्तान को वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक कारोबारियों ने वाणिज्य मंत्री से अलग-अलग बैठकों में इस मुद्दे को उठाया और राहत देने की मांग की।

हिन्दुस्तान को मिली जानकारी के मुताबिक कारोबारियों से सरकार से कहा कि कोरोना संकट के पहले ही कई लोगों ने चेक दे दिए थे। उनमें से कुछ आयात से जुड़े हैं और कई दूसरी खरीद से जुड़े। कोरोना संकट के दौर में कमाई और खर्च का हिसाब-किताब बिल्कुल बदल गया है। ऐसे में उन चेक पर बाउंस होने का खतरा मंडरा रहा है। कारोबारियों ने गुहार लगाई है कि सरकार चेक बाउंस होने से जुड़े कानूनों में आर्थिक हालात सामन्य होने तक राहत देने की मांग की है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 11.6.2020)**

## कारोबारियों को जीएसटी फाइलिंग में राहत

**इस साल अप्रैल व मई में जीएसटी कलेक्शन 45 फीसद, राज्यों के कंपनसेशन सेस पर जुलाई में होगी विशेष बैठक**

जीएसटी काउंसिल की बैठक में उम्मीद के मुताबिक जीएसटी दरों में

कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन कोरोना की वजह से कारोबार की खराब हालत को देखते हुए छोटे कारोबारियों को राहत जरूर दी गई। बैठक में राज्यों ने जीएसटी काउंसिल के माध्यम से बाजार से उधार लेकर फंड जुटाने की मांग की। जुलाई में इस मुद्दे के साथ राज्यों के कंपनसेशन सेस पर विशेष बैठक बुलाई जाएगी।

**रिटर्न में राहत :** काउंसिल की बैठक में जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 तक जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले कारोबारियों को राहत दी गई। जीएसटी काउंसिल की 40 वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस अवधि में जिन कारोबारियों पर टैक्स की कोई देनदारी नहीं बनती है, उन्हें जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल करने में कोई जुर्माना नहीं लगेगा। जिन कारोबारियों पर जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 तक की रिटर्न फाइलिंग में टैक्स की देनदारी बनती है, उन्हें प्रतिमाह 500 रुपये के हिसाब से जुर्माना देना होगा। अभी यह जुर्माना प्रतिमाह 10,000 रुपए है। जुर्माने में छूट का यह नियम एक जुलाई से 30 सितम्बर के दौरान रिटर्न फाइल करने पर ही लागू होगा।

सीतारमण ने फरवरी, मार्च और अप्रैल के जीएसटी रिटर्न के मामले में भी छोटे कारोबारियों को राहत देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पाँच करोड़ तक के टर्नओवर वाले कारोबारी अगर छह जुलाई तक इन तीन महीनों का रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उन्हें कोई जुर्माना नहीं देना होगा। इसके बाद 30 सितम्बर तक रिटर्न फाइल करने पर इन्हें 9 फीसद की ब्याज दर से जुर्माना देना होगा। अभी यह दर 18 फीसद है। काउंसिल के फैसले के मुताबिक पाँच करोड़ तक के टर्नओवर वाले कारोबारी मई, जून एवं जुलाई का जीएसटीआर-3बी फार्म अगर 30 सितम्बर तक भर देते हैं तो उन्हें कोई जुर्माना नहीं देना होगा।

**सुशील मोदी की अध्यक्षता में बनी है कमेटी :** सीतारमण ने बताया कि राज्यों के कंपनसेशन को लेकर जुलाई में विशेष बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस साल अप्रैल व मई के दौरान जीएसटी संग्रह 45 फीसद तक रहा। उन्होंने कहा कि राज्य भी जीएसटी कलेक्शन करते हैं, इसलिए हकीकत से वे भी वाकिफ हैं। अगर जीएसटी काउंसिल के माध्यम से बाजार से फंड जुटाया जाता है तो उसे चुकता करने का कानूनी प्रावधान एवं तरीका क्या होगा, इन मुद्दों पर जुलाई के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित इस विशेष बैठक के लिए हर राज्य को आगामी 10 दिनों में सुझाव देने के लिए कहा गया है। आइजीएसटी फंड रिलीज को लेकर उत्पन्न दुविधा के समाधान के लिए बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इस फंड का 36,400 करोड़ का एक हिस्सा हाल ही में रिलीज किया गया है जिससे दिल्ली व पुडुचेरी को सबसे अधिक फायदा होगा।

**गारमेंट पर लगने वाली दरों को बढ़ाने की थी पूरी तैयारी :** जीएसटी काउंसिल की बैठक में शर्ट-पैंट की कीमत को बढ़ाने की पूरी तैयारी थी। लेकिन कई राज्यों के विरोध की वजह से ऐसा संभव नहीं हो सका। बैठक में गारमेंट पर लगने वाली दर को बढ़ाकर 12 फीसद करने का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन कई राज्यों ने यह कहते हुए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि अभी इसे लागू करने का सही वक्त नहीं है। हालांकि जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में गारमेंट की दरों में बढ़ोतरी तय दिख रही है। इसके अलावा फुटवियर की दरों में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। **(साभार : दैनिक जागरण, 13.6.2020)**

## बैंकों ने एमएसएमइ उद्यमियों को दिया 364.67 करोड़ लोन

**मिल रहा ऋण :** • 580 करोड़ का सबसे अधिक ऋण किया वितरित भारतीय स्टेट बैंक ने • 637.17 करोड़ रुपये का बैंकों ने ऋण किया मंजूर इसीएलजीएस के तहत

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सूक्ष्म, लघु व मझोले उपक्रमों (एमएस एमइ) को तीन लाख करोड़ की आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (इसीएलजीएस) के तहत नौ जून तक सूबे के बैंकों ने लगभग 364.67 करोड़ का ऋण दिया है। यह लोन महज नौ दिन में बैंकों ने वितरित किया है। कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन से एमएसएमइ क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार एक से नौ जून के बीच बैंकों ने एमएसएमइ क्षेत्र को 100 फीसदी इसीएलजीएस के तहत 637.17 करोड़ का ऋण मंजूर किया है। केन्द्र सरकार ने पिछले माह मई में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। एमएसएमइ क्षेत्र को ऋण भी इसी पैकेज का हिस्सा है।

जानकारी के अनुसार सूबे में 7589 बैंक शाखाओं के माध्यम में अब तक स्वीकृत लोग की संख्या 23,951 हैं। इनमें से 14, 427 को लोन के स्वीकृत किये गये। वहीं, स्वीकृत राशि 637.17 करोड़ है। लेकिन, अब तक 364.67 करोड़ वितरित किया जा चुका है। बैंकों की बात की जाये, तो नौ जून तक भारतीय स्टेट बैंक ने 8317 उद्यमियों के बीच लगभग 580 करोड़ का ऋण वितरित किया हैं। केनरा बैंक ने 1480 उद्यमियों के बीच लगभग 34 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक ने लगभग 39 करोड़ स्वीकृत किये हैं। लेकिन, वितरित राशि काफी कम है। बैंक अधिकारियों की मानें, तो 29 फरवरी तक का आउटस्टैंडिंग है। उसका 20 फीसदी तक एमएसएमइ को इसीएलजीएस के तहत ऋण देना है, इस योजना के तहत जो भी योग्य उद्यमी है, उसे बैंक स्वत: लोन के लिए प्रस्ताव भेज रहा है। **(साभार : प्रभात खबर, 15.6.2020)**

## कर लायक आमदनी नहीं तो भी भरना होगा रिटर्न

प्रॉपटी के संयुक्त मालिक आसान फॉर्म भर सकते हैं लेकिन अगर आप पर नए शुरू किए तीन मानदंडों में से कोई एक भी लागू होता है तो आपको कम आय होने पर भी रिटर्न भरना होगा।

हाल में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2020 -21 के लिए सात आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म जारी किए हैं। वित्त अधिनियम 2019 में बदलावों की वजह से इस साल के फॉर्मों में कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं। इन फॉर्मों में कुछ फेरबदल इसलिए भी किए गए हैं ताकि सरकार द्वारा कोरोनावायरस को मद्देनजर रखते हुए करदाताओं को दी गई रियायतों को समायोजित किया जा सके।

आईटीआर 1 और 4 को जनवरी में जारी किया गया था। उस समय एक प्रतिबंध लगाया गया था। जिन लोगों के पास केवल एक आवास परिसंपत्ति है मगर वह संयुक्त नाम से है तो उन्हें इन दो आसान फॉर्मों के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी गई थी। मगर अब वह प्रतिबंध हटा लिया गया है। अगर किसी करदाता के पास एक आवास परिसंपत्ति है तो वह इन फॉर्मों का इस्तेमाल कर सकता है, भले ही प्रॉपर्टी संयुक्त नाम से हो। **(विस्तृत : बिजनेस स्टैंडर्ड, 15.6.2020)**

## 'विवाद से विश्वास' योजना का लाभ 31 दिसम्बर तक

• समय बढ़ने से हजारों आयकर दाता को मिलेगा लाभ • अभी 30 जून है योजना की समय सीमा, अधिसूचना जल्द

इनकम टैक्स विवाद से विश्वास योजना का लाभ आयकरदाताओं को 31 दिसम्बर तक मिलेगा। देश में कोरोना संक्रमण के कारण इस योजना की अवधि का विस्तार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक विवादित टैक्स मामले का निपटारा हो सके। इस योजना की अवधि अभी 30 जून तक है। योजना के अवधि विस्तार से हजारों आयकरदाताओं को लाभ मिलेगा। आयकर विभाग शीघ्र ही इसकी अधिसूचना जारी कर देगा।

**पिछले वित्तीय वर्ष में योजना शुरू हुई थी :** आयकर विभाग ने विवादित टैक्स के निपटारे के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में इस योजना की शुरू आत की थी। योजना में शर्त यह है कि अगर कोई आयकरदाता विवादित टैक्स का निपटारा करना चाहता है तो उसका सूद और पेनाल्टी माफ कर दिया जाएगा। 19 मार्च 2020 से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। लेकिन इसके तुंरत बाद कोरोना संक्रमण के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लागू हो गया, जिससे यह योजना धीमी पड़ गई ।

**विवादों के निपटारे से विभाग को होगा फायदा :** पूरे बिहार में अब तक इस योजना में करीब 100 मामले का निपटारा हुआ है, जबकि पूरे बिहार में करीब 8 हजार आयकर के विवादित मामले हैं। ये मामले हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। आयकर विभाग को उम्मीद है कि अगर सारे विवादित मामलों

का निपटारा हो गया तो विभाग को सैकड़ों करोड़ बकाया टैक्स मिलेगा।

"विवाद से विश्वास योजना का लाभ अब 31 दिसम्बर तक मिलेगा। अवधि विस्तार से हजारों आयकरदाता को लाभ मिलेगा। अभी इस योजना की समय सीमा 30 जून तक है।" – **आर. बी. मिश्रा**, आयकर आयुक्त, टीडीएस

**( साभार : हिन्दुस्तान, 15.6.2020 )**

## बैंकों को 1.45 लाख करोड़ कर्ज देने का लक्ष्य

बैंकों को बिहार में वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक लाख 45 हजार करोड़ रुपये का ऋण देने का लक्ष्य दिया गया। वहीं, 17 बैंकों को राज्य में औसत ऋण भुगतान (72.69 फीसदी) से भी कम ऋण वितरण किये जाने को लेकर चिन्हित किया गया। इनमें यूको बैंक, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) की बैठक में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में 60 हजार करोड़ रुपये कृषि क्षेत्र में ऋण का लक्ष्य 2019-20 में था, लेकिन 41449 करोड़ का ही ऋण दिया गया। इसके लिए बैंकों ने आर्थिक सुस्ती को कारण बताया।

**साख-जमा अनुपात में एक फीसदी की गिरावट :** बैठक के बाद श्री मोदी ने ऑन लाइन प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि 2019-20 में पिछले वर्ष की तुलना में साख-जमा अनुपात में एक फीसदी की गिरावट आई है और यह अभी 43.03 फीसदी है। कहा, बैंकों को सभी व्यक्तियों का बैंक खाता खोलने, एमएसएमई क्षेत्र, कृषि व पशुपालन क्षेत्र में ऋण देने का निर्देश दिया गया है। सभी 44 हजार गाँवों में एक बैंक मित्र नियुक्त करने को कहा गया है। बिहार के डेयरी सेक्टर के 12 लाख दुग्ध उत्पादक किसानों को केसीसी देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही फिशरी, पोल्ट्री एवं पीएम किसान निधि में निबंधित किसानों को भी केसीसी दिया जाए।

**बिहार में 10 करोड़ 12 लाख सक्रिय बैंक खाते:** बताया कि बिहार में 10 करोड़ 12 लाख सक्रिय बैंक खाते हैं जिनमें 7 करोड़ 76 लाख आधार व 6 करोड़ 98 लाख मोबाइल से जुडे हैं। इसके जरिए ही कोरोना संकट में सरकारों ने 14,300 करोड़ गरीबों के जनधन खाते में सीधे भेजे। बैंकों को निर्देश दिया कि 31 जुलाई तक विशेष अभियान चला कर मिल्क यूनियन से जुड़े 12 लाख दुग्ध उत्पादक किसानों को केसीसी के तहत बिना किसी बंधक के 1.60 लाख का लोन दें। बिहार में 17,288 बैंक मित्र हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहक सेवा केन्द्र के जरिए बैंकिंग सेवा देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 1209 एटीएम है। एसएचजी समूह से जुड़ी महिलाओ को बैंक सखी बनाएं। उन्होंने 2018-19 की 44.09 फीसदी की तुलना में 2019-20 में साख-जमा अनुपात 43.03 प्रतिशत रहने व वार्षिक साख योजना की उपलब्धि पिछले वर्ष से 11.60 प्रतिशत कम रहने पर नाराजगी जताई।

**डीबीटी से लाभुकों के खाते में शीघ्र दें पैसा : मुख्यमंत्री**

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में लोगों को डीबीटी के माध्यम से 8500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद राज्य सरकार की तरफ से की गई। डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) के माध्यम से पैसा लाभुकों के खाते में जाने में बैंकों को कम से कम तीन-चार दिन लग जाते हैं, इसे और सुधारने की आवश्यकता है। जीविका समूह को एक से पाँच लाख तक के लोन किस्तों में दिए जाते हैं। इसे बढ़ाकर तीन से दस लाख करने की आवश्यकता है। कृषि विभाग ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) निर्गत करने के लिए 3.70 लाख आवेदन बैकों को अग्रसारित किए हैं, जबकि बैंकों द्वारा अब-तक केवल 50 हजार आवेदनों को ही स्वीकृत किया गया है। इन्हें शीघ्र स्वीकृत करें और केसीसी की संख्या बढ़ाएँ। राज्य में कई प्रकार के उद्योग लगाने के लिए कई अच्छी नीतियाँ बनायी गई हैं। बिहार में व्यापार बढ़ा है, लोगों की आमदनी बढ़ी है। राज्य में विकेंद्रीत तरीके से विकास किया गया है और राज्य की विकास दर 11 प्रतिशत से ऊपर है। कई क्षेत्रों में उद्योग लगाने की संभावना है। लोग इसमें आगे आएँ, सरकार हरसंभव मदद करेगी। बिहार की उद्योग प्रोत्साहन नीति में और सहूलियत देने पर विचार हो रहा है। **( साभार : हिन्दुस्तान, 16.6.2020 )**

## अब लोन लेने में नहीं होगी देरी

**सराहनीय. ऑनलाइन ही बैंक जाँच लेंगे जमीन के दस्तावेज**

राज्य के बैंकों से अब आम लोगों को कर्ज लेने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उन्हें अपने जमीन के दस्तावेजों या एलपीसी (लैंड पजेशन सर्टिफिकेट) की जांच कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। कोई भी बैंक अधिकारी बस एक क्लिक के जरिये राज्य के किसी भी जमीन का रिकॉर्ड देख सकता है। साथ ही इस जमीन से जुड़ी हकीकत से भी वाकिफ हो सकते हैं कि यह जमीन किसकी है और इसकी वास्तविकता क्या है। राज्य सरकार जल्द ही सभी बैंकों को जमीन से संबंधित दस्तावेज या एलपीसी देखने की अनुमति देने जा रही है। इसके लिए एक खास वेबसाइट तैयार की गयी है। इस पर सभी बैंकों का लॉग-इन आइडी और पासवर्ड रहेगा।

राज्य की तमाम जमीनों के डिजिटाइजेशन का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। जमीन से जुड़ी सभी जानकारी अब ऑनलाइन मिल सकेगी। अभी बैंक से किसी तरह का लोन लेने में बैंक गास्टी के तौर पर व्यक्ति को अपनी जमीन, मकान या फ्लैट का दस्तावेज या एलपीसी बैंक को जमा करना पड़ता है। इसी के एवज में लोन मिलता है। इन दस्तावेजों का बैंक अपने स्तर से जाँच करता है।

वर्तमान में इसके जांच की प्रक्रिया काफी लंबी है। इन्हें कोर्ट या रजिस्ट्री कार्यालय में भेज कर पता कराया जाता है कि ये असली हैं या नकली या जमीन असल में किसके नाम पर है। इसमें काफी समय लग जाता है। लोगों को भी इसके लिए काफी दौड़ लगानी पड़ती है। परंतु अब बैंक वाले इसकी जाँच अब अपने स्तर से तुरंत कर सकेंगे।

**कम समय में दें लोन :** इस कोविड के संक्रमण काल में जरूरतमंद लोगों खासकर स्वरोजगार या लघु, मध्यम एवं सूक्ष्म सेक्टर से जुड़े व्यवसायियों को कम समय में लोन देने के लिए कहा गया है। हाल में केन्द्र सरकार की तरफ से घोषित 'स्वाभिमान भारत' योजना के तहत बड़ी संख्या में लोन देने के लिए कहा है। **( साभार : प्रभात खबर, 17.6.2020 )**

## पीएम से बोले सीएम : बिहार में उद्योग के लिए पहल करे केन्द्र, हम 1000 एकड़ जमीन देंगे

**नीतीश ने कहा-बिहार में मेक-इन इंडिया के तहत जीएसटी और आयकर में छूट दे केन्द्र**

बिहार में उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को सरकार हरसंभव सहायता देने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में फूड प्रॉसेसिंग, गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, लेदर गुड्स, मेडिकल, इलेक्ट्रिकल समेत कई उद्योगों की संभावना है। अगर इसमें केन्द्र सरकार कोई उद्योग लगवाने में पहल करे तो राज्य सरकार 1 हजार एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी। केन्द्र बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मेक-इन इंडिया के तहत जीएसटी और आयकर में छूट दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार एमएसएमई के लिए निर्धारित की गई राशि की सीमा को और अधिक बढ़ाए। हाल ही में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक में हमने बैंकों के अधिकारियों को यह सुझाव दिया है कि एनुअल क्रेडिट प्लान को बढ़ाएं। राज्य का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो (सीडी) सिर्फ 43 प्रतिशत है। इसे बढ़ाने की जरूरत है। केन्द्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

**लॉकडाउन अब नहीं होगा,**
**अनलॉक-2 की तैयारी करें राज्य सरकारें : प्रधानमंत्री**

पीएम नरेन्द्र मोदी ने लॉकडाउन लगाने पर पुनर्विचार करने की अटकलों को खारिज कर दिया है। पीएम कोरोना से लड़ाई, अनलॉक -1 की समीक्षा को लेकर लगातार दूसरे दिन बाकी बचे मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे थे। ऑनलाइन मीटिंग में पीएम ने सभी से कहा कि वह लॉकडाउन की अफवाहों से लड़ने और अनलॉक - 2 की तैयारी करें। पीएम मोदी ने कहा हमें अब इस पर ध्यान लगाना होगा कि लोगों को नुकसान से कैसे बचाएँ। **( साभार : दैनिक भास्कर, 18.6.2020 )**

## 21 घंटे सप्लाई का ब्योरा दिए बिना वसूल रही पूरा फिक्स चार्ज

**बिजली कंपनी कर रही विद्युत विनियामक आयोग के फैसले की अनदेखी, तय घंटों से कम सप्लाई पर चार्ज में करनी है कटौती**

हिन्दी में एक कहावत बहुत प्रचलित है मीठा-मीठा गप-गप और कड़वा-कड़वा थू-थू। बिजली कंपनी के साथ यह कहावत विलकुल चरितार्थ हो रही है। विद्युत विनियामक आयोग के दो फैसलों में एक को लागू करने में बिजली कंपनी जहाँ तत्पर दिख रही है वहीं दूसरे फैसले को नजरअंदाज कर रही है। आयोग के एक फैसले के मुताविक, बिजली कंपनी को स्वीकृत लोड से अधिक लोड खपत पर जुर्माना वसूलने लगती है। जबकि, दूसरे के मुताविक, पूरा फिक्स चार्ज तभी वसूला जाएगा जब 24 घंटे में कम से कम 21 घंटे बिजली सप्लाई हुई हो। बिजली कंपनी ने पहले फैसले के मुताविक जुर्माना वसूलना तो शुरू कर दिया है लेकिन वह उपभोक्ताओं को यह नहीं बता रही है कि उसने प्रतिदिन 21 घंटे की सप्लाई दी या नहीं। और अगर नहीं दी तो उस अनुपात में बिजली के फिक्स चार्ज में कितने प्रतिशत की कटौती की गई?

**बिजली सप्लाई के अनुपात में कम होना है फिक्स चार्ज :** बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ 21 घंटे से कम बिजली सप्लाई देने पर फिक्स चार्ज में कटौती का फैसला लागू किया गया है। इस फैसले के मुताबिक 30 दिन का महीना है तो 630 घंटे, 31 दिन का महीना है तो 651 घंटे बिजली देनी है। इससे कम बिजली सप्लाई करने पर फिक्स जार्ज सप्लाई के अनुपात में कम हो जाएगा।

**बड़ा सवाल – बिजली बिल में मीटर रीडिंग के साथ सप्लाई के घंटों का जिक्र क्यों नहीं :** बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अन्य फैसले के साथ 1 अप्रैल से 21 घंटे बिजली सप्लाई करने पर पूरा फिक्स चार्ज वसूलने वाला फैसला लागू है। केवल स्ट्रीट लाइट और कृषि कनेक्शन के उपभोक्ताओं पर यह लागू नहीं किया गया है। लेकिन, ऑन स्पॉट मीटर रीडिंग कर होने वाली बिलिंग में इसका जिक्र नहीं है। उपभोक्ताओं को यह नहीं बताया जा रहा है कि आपको कितने घंटे बिजली दी गयी है। जबकि, उपभोक्ताओं के घरों में लगे मीटर में कितने घंटे बिजली सप्लाई मिली, इसका रिकार्ड है। इस संबंध में पूछे जाने पर बिजली कंपनी मुख्यालय के एक वरीय अधिकारी ने कहा कि राज्य में ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ 21 घंटे से कम एबरेज बिजली सप्लाई हो रही है। हमलोगों का लक्ष्य 24 घंटे बिजली सप्लाई देने का है। ऐसा मामला और शिकायत मिलेगा तो देखा जाएगा। बिलिंग में कितने घंटे बिजली सप्लाई दी गयी है। यह कोई विषय नहीं है।

**इधर, वसूली हो गई शुरू :** स्वीकृत लोड से अधिक खपत करने पर बिजली कंपनी ने जुर्माना वसूलना शुरू कर दिया है। 3 किलोवाट का लोड स्वीकृत कराए हैं और 5 किलोवाट बिजली खपत कर रहे हैं तो आपको 3 किलोवाट लोड का 40 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से 120 रु और 2 किलोवाट लोड के दुगुना दर से यानी 80 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से 160 रुपए देना होगा। यानी कुल चार्ज 280 रुपए लगेगा। इसके अलावे यदि 500 यूनिट बिजली खपत हुई तो 300 यूनिट का चार्ज नॉर्मल रेट पर और 200 यूनिट का चार्ज दोगुने रेट पर भुगतान करना है। **( साभार : दैनिक भास्कर, 5.6.2020 )**

## देर से बिजली बिल भरने पर अब कम ब्याज लगेगा

**फैसला**

- **25 मार्च से 30 जून के बीच बिल नहीं जमा करने वालों को फायदा**
- **विनियामक आयोग का निर्णय, अब 1.25 की जगह 0.75% ब्याज**

बिहार के डेढ़ करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। कोरोना काल में जो बिजली बिल नहीं जमा कर सके हैं उन्हें लगने वाले विलंब शुल्क पर ब्याज कम लगेगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने इस बाबत निर्णय सुनाया है।

आयोग के अध्यक्ष एस. के. नेगी की ओर से यह निर्णय सुनाया गया है। 25 मार्च से 30 जून के बीच बिल नहीं जमा करने वालों को फायदा होगा। कंपनी की ओर से बिल जारी होने पर 10 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। इसमें वास्तविक बिल ही जमा करना पड़ता है। 10 दिनों के बाद 1.25% ब्याज देना पड़ता है। आयोग ने इसे 0.75% कर दिया है। **( साभार : हिन्दुस्तान, 13.6.2020 )**

## 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करें और 5% छूट पाएँ

सरकार ने नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले निजी घर मालिकों को घर का टैक्स जमा करने में राहत दी है। 30 जून तक घर का टैक्स जमा करने पर पाँच फीसदी छूट मिलेगी। घर मालिक चाहे तो नगर निगम के सभी अंचलों के काउंटर, निगम मुख्यालय में बने काउंटर पर होल्डिंग टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके अलावा डोर डोर जाकर टैक्स कलेक्शन करनेवाले कर्मियों को भी टैक्स की राशि दे सकते हैं। घर मालिक ऑनलाइन माध्यम से पटना नगर निगम के साइट पर भी टैक्स जमा कर सकते हैं। लॉकडाउन के कारण होल्डिंग टैक्स जमा करने में होनेवाली परेशानी को लेकर लोगों को राहत मिली है। निगम के आधिकारिक सूत्र ने बताया कि इसमें पिछले साल की बकाया राशि में किसी तरह की अतिरिक्त राशि नहीं जमा करनी होगी। **( विस्तृतः प्रभात खबर, 11.6.2020 )**

## अब कार-बाइक की नहीं लेनी होगी तीन और पाँच साल की इंश्योरेंस पॉलिसी

**बड़ी राहत :** • बाइक पर तीन हजार और कार पर 12 हजार रुपये तक होगी बचत • इरडा ने दिया आदेश, अगस्त से नहीं बिकेगी लांग टर्म मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने अगस्त 2020 से बीमा कंपनियों को लांग टर्म मोटर इंश्योरेंस नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश से अब कार और बाइक खरीदने वालों को तीन और पाँच साल की इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी तक चारपहिया वाहनों के लिए तीन साल और दोपहिया के लिए पाँच साल का लांग टर्म थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पैकेज लेना अनिवार्य था। इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से बाइक तीन से पाँच हजार रुपये तक महंगी पड़ती थी और कारें भी दस से पंद्रह हजार रुपये तक महँगी हो जाती थीं। इससे पहले बीमा कंपनियों से कहा गया था कि वे ग्राहकों को एक साल और लंबी अवधि का ओन डैमेज प्लान खरीदने का विकल्प उपलब्ध कराएं। ओन डैमेज कवर के तहत वाहन को हुए भौतिक नुकसान, चोरी, दुर्घटना और प्राकृतिक आपदा की भरपाई की जाती है। गौरतलब है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दोपहिया वाहनों के लिए पाँच साल और चारपहिया वाहनों के लिए तीन साल की लांग टर्म पॉलिसी अनिवार्य होगी। इसके बाद ही बीमा कंपनियों ने ग्राहकों को लांग टर्म पॉलिसियों की पेशकश की थी।

**( साभार : दैनिक जागरण, 13.6.2020 )**

## आठ वर्ष प्रीमियम भरा तो बीमा कंपनी देगी क्लेम

**इरडा ने जारी किए नये दिशा-निर्देश : बीमा क्षेत्र में आएगी एकरूपता, निर्धारित लिमिट के अंदर भुगतान से मना नहीं कर पाएंगी कंपनियाँ**

अब आठ वर्ष तक प्रीमियम भर चुके ग्राहकों को बीमा कंपनियाँ क्लेम देने में आनाकानी नहीं कर सकेंगी। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी इरडा ने इन कंपनियों के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इरडा ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य क्षतिपूर्ति संबंधी बीमा प्रोडक्ट्स के लिए सामान्य शब्द और खंडों का मानकीकरण करना था। इसमें व्यक्तिगत एक्सीडेंट और देश से बाहर यात्रा को शामिल नहीं किया गया है। इस नये सुधार से बीमा क्षेत्र में एकरूपता आएगी। इस दौरान इरडा ने कहा है कि मौजूदा पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट्स में इस हिसाब से बदलाव करना होगा। हालांकि ऐसे मामले जो धोखाधड़ी से जुड़े हैं या जिनमें नियम व शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है उनके लिए बीमा कंपनियों को अपील करने की इजाजत दी जाएगी। आठ वर्ष का यह समय मोरेटोरियम पीरियड कहलाता है। बीमा की पहली किस्त भरने के साथ ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। नियामक ने कहा कि बीमा कंपनी को सभी कागजी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद 30 दिन के भीतर दावे को स्वीकार या इन्कार करना चाहिए। इस अवधि में बीमा कंपनियाँ दावा पूरा नहीं करती हैं तो उन्हें पॉलिसीधारक को ब्याज देना होगा। यह ब्याज बैंक दर से दो परसेंट अधिक होना चाहिए। वेटिंग पीरियड के दौरान भी बीमा कवर का लाभ उठाने के हकदार होंगे। **( साभार : दैनिक जागरण, 15.6.2020 )**

## दुकानों का किराया 30 तक तय हो: मंत्री

**निर्देश :** • आवंटियों की करें पहचान, किराया नहीं देने वालों पर हो कार्रवाई
• कृषि मंत्री ने मार्केटिंग बोर्ड (विघटित) के कार्यों की समीक्षा की

कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने मार्केटिंग बोर्ड (विघटित) के कार्यों की समीक्षा की। इसके लिए आयोजित बैठक में वीसी पर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी-सह-विशेष पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

मंत्री ने कहा कि सभी बाजार प्रांगणों के दुकान, गोदाम एवं दुकान-सह-गोदाम का उचित किराया 30 जून तक तय कर लिया जाए। किराया वसूली के लिए डिजिटाइजेशन कार्य चल रहा है। सभी विशेष पदाधिकारी यह सर्वेक्षण कर लें कि बाजार प्रांगण की कितनी दुकानों में आवंटी, आवंटी के परिवार व्यापार कर रहे हैं एवं कितनी दुकानों को आवंटी ने सबलेट किया है। खाली दुकानों, गोदामों की सूचना जल्द दी जाए, ताकि अनका आवंटन किया जा सके।

मंत्री ने बताया कि राज्य के किसानों को उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य एवं बेहतर बाजार की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राज्य में सभी बाजार प्रांगणों के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। प्रांगणों में चहारदीवारी, सड़क, नाला आदि निर्माण के साथ-साथ सफाई, सुरक्षा, बिजली, पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था करनी है। इसके तहत 22 प्रमुख बाजार प्रांगणों के सुदृढ़ीकरण की योजना स्वीकृत हो गई है, जिसमें दरभंगा में कार्य प्रारम्भ भी हो गया है।

**( साभार : हिन्दुस्तान, 15.6.2020 )**

## आवास व निर्माण क्षेत्र को गति देने को बदलेंगे नियम

**पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया के सरलीकरण से देश के हाउसिंग व कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मिलेगी बड़ी राहत**

देशभर में आवास और निर्माण क्षेत्र को आने वाले समय में बड़ी राहत मिल सकती है। केन्द्र सरकार इन परियोजनाओं के लिए जरूरी पर्यावरण संबंधी अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल करेगी। नियमों और मानकों में कुछ बदलाव भी संभव हैं। इसके लिए केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति रायशुमारी में जुटी है।

पिछले दिनों इस समिति ने लॉक डाउन के बीच देश के बिल्डरों की प्रमुख संस्था नरेडको (नेशनल रीयल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल) के सदस्य बिल्डरों से ऑनलाइन चर्चा की। संस्था की ओर से हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के लिए पर्यावरण संबंधी अलग नियमावली की मांग की गई। ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्टों को पर्यावरण संबंधी पूर्व अनुमतियों से मुक्त रखने की मांग उठी।

सुझाव दिया गया कि कोई प्रोजेक्ट में स्वीकृति के बाद कुछ बदलाव करता है तो उसे नए प्रोजेक्ट की तरह डील न किया जाए। अलग नियम बने, प्रोजेक्ट की वैधता अवधि को उसके साइज के हिसाब से तय किया जाना चाहिए।

**देशभर में फंसे हैं हजारों प्रोजेक्ट :** पर्यावरण संबंधी मामलों को लेकर आवास और निर्माण क्षेत्र के हजारों प्रोजेक्ट फंसे पड़े हैं। यह सेक्टर अर्थव्यवस्था की मजबूती में सहयोग के साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार दे सकता है। सरकार लंबित मामलों और नए प्रोजेक्टों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम सहित दूसरी जटिलताओ को कम करना चाहती है। इसके लिए बिहार कैडर के रिटायर आईएएस सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता में चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई है।

विशेषज्ञ समिति के चेयरमैन सुनील कुमार सिह (पूर्व आईएएस) ने सुझावों पर गंभीरता से विचार कर नियमों को सरल बनाने की दिशा में पहल का भरोसा दिलाया।

"हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के सुझावों को समिति ने ध्यान से सुना है। जल्द ही सभी स्टेक होल्डरों से इस संबंध में चर्चा करके इन प्रोजेक्टों के लिए इनवायरनमेंटल क्लियरेंस संबंधी प्रक्रिया के सरलीकरण का सुझाव सरकार को दिया जाएगा।"

– **सुनील कुमार सिंह**, चेयरमैन,
विशेषज्ञ समिति केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**( साभार : हिन्दुस्तान, 16.6.2020 )**

## होल्डिंग टैक्स के साथ ही कचरा संग्रह शुल्क वसूलेगा निगम

**सशक्त स्थायी समिति की बैठक में प्रस्ताव पास, अभी अलग-अलग वसूले जाते थे टैक्स**

शहरवासियों को कचरा संग्रह शुल्क होल्डिंग के साथ ही देना होगा। पटना नगर निगम सशक्त स्थायी समिति की 42वीं बैठक में होल्डिंग टैक्स के साथ डोर-टू-डोर कचरा संग्रह शुल्क देने के प्रस्ताव को पारित किया गया।

अभी तक डोर-टू डोर कचरा उठाव के तहत कचरा शुल्क व होल्डिंग टैक्स अलग-अलग वसूलने का प्रावधान है। ज्यादातर लोग कचरा शुल्क नहीं देते हैं। ऐसे में नगर निगम ने रणनीति बनाई है कि अब साल में एक बार होल्डिंग टैक्स के साथ ही कचरा संग्रह शुल्क ले लिया जाए। निगम प्रशासन का दावा है कि इससे राजस्व में वृद्धि होगी। अभी तक राजस्व के रूप में करीब एक करोड़ रुपये ही संग्रह हो पाता था। होल्डिंग टैक्स के साथ समायोजित करने पर करीब 10 से 15 करोड़ रुपये की आय हो सकेगी। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए विभाग के पास भी भेजा जाएगा।

**एक जनवरी 2019 से प्रभावी है शुल्क :** आवासीय एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से मासिक शुल्क की वसूली सफाई निरीक्षकों द्वारा संतोषजनक नहीं करने के कारण यह निर्णय लिया गया है। डोर-टू-डोर कचरा संग्रह सेवा दो अक्टूबर 2018 से जारी है। वहीं मासिक शुल्क एक जनवरी 2019 से प्रभावी था।

**डोर-टू-डोर कचरा संग्रह शुल्क**

| श्रेणी | मासिक |
|---|---|
| आवासीय भवन | 30 |
| दुकान | 100 |
| रेस्टूरेंट, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होटल | 500 |
| स्टार होटल | 5000 |
| व्यावसायिक व सरकारी कार्यालय | 500 |
| क्लीनिक, डिस्पेंसरी, प्रयोगशाला | 250 |
| क्लीनिक (50 बेड तक) | 1500 |
| क्लीनिक (50 बेड के ऊपर) | 3000 |
| छोटे एवं मध्यम उद्योग | 500 |
| गोदाम, कोल्ड स्टोरेज | 1000 |
| मैरेज हॉल, फेस्टिवल हॉल, ट्रेड फेयर | 2500 |

**( विस्तृत : हिन्दुस्तान, 17.6.2020 )**

## नगर निगम अब आवेदन करने के दिन ही जारी कर देगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र

**काम की खबर** **जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के आवेदन सीधे रजिस्ट्रार तक भेजे जाएंगे**

पटना नगर निगम की ओर से अब लोगों को आवेदन करने के दिन ही जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी इस काम में तीन से सात दिन तक का समय लग जाता है।

दरअसल, नगर निगम के स्तर पर जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को काफी चक्कर लगाने पड़ते हैं। निगम में प्रमाण पत्र बनाने के लिए गड़बड़ी की शिकायत सामने आने लगी थी। इस समस्या के सामने आने के बाद पूर्व में बनाए गए नियमों में संशोधन कर दिया गया है। इसको देखते हुए निगम प्रशासन ने सात अप्रैल को आदेश जारी कर सभी अंचलों में ही जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन लिया जाने लगा था।

हालांकि, अभी भी प्रमाण पत्र पर जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर में देरी हो रही थी। इसको देखते हुए अब पूर्व के आदेश मे संशोधन करते हुए रजिस्ट्रार डा. अनूप कुमार शर्मा ने अंचलों में आने वाले जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदनों को डाटा इंट्री ऑपरेटर द्वारा सीधे उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। इसके लिए अंचल के अन्य किसी अधिकारी से निर्देश की जरूरत नहीं होगी। रजिस्ट्रार की ओर से आवेदन पर तत्काल हस्ताक्षर कर वापस किया जाएगा।

इससे लोगों को उसी दिन प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। साथ ही, रजिस्ट्रार ने मार्च, अप्रैल व मई माह के जन्म-मृत्यु आवेदनों के मासिक प्रतिवेदन और प्राप्त आवेदनों का निष्पादन पाँच जून तक हर हाल में कराने का निर्देश जारी किया है।

**( साभार : दैनिक भास्कर, 4.6.2020 )**

## CABINET COMMITTEE ON ECONOMIC AFFAIRS (CCEA) CABINET APPROVES UPWARD REVISION OF MSME DEFINITION AND MODALITIES/ ROAD MAP FOR IMPLEMENTING REMAINING TWO PACKAGES FOR MSMES (a) RS 20000 CRORE PACKAGE FOR DISTRESSED MSMES AND (b) RS 50,000 CRORE EQUITY INFUSION THROUGH FUND OF FUNDS FULLY PAVED WAY FOR ENERGISING THE MSME SECTOR THROUGH ENTIRE GAMUT OF 'ATMANIRBHAR BHARAT PACKAGE'

**Posted On : 01 JUN 2020 5:43PM by PIB Delhi**

In line with Government of India's top focus on energising MSMEs in the country, a special meeting of Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) was convened under the Chairmanship of Prime Minister Shri Narendra Modi, here today, which approved the upward revision of MSME definition and modalities/road map for laying down effective implementation mechanism for the remaining two announcements under the Atmanirbhar Bharat Package. These include:

- In the package announcement, the definition of micro manufacturing and services unit was increased to Rs. 1 crore of investment and Rs. 5 crore of turnover. The limit of small unit was increased to Rs. 10 crore of investment and Rs 50 crore of turnover. Similarly, the limit of a medium unit was increased to Rs 20 crore of investment and Rs. 100 crore of turnover. It may be noted that this revision was done after 14 years since the MSME Development Act came into existence in 2006. After the package announcement on 13th May, 2020, there were several representations that the announced revision is still not in tune with market and pricing conditions and it should be further revised upwards. Keeping in mind these representations, it was decided to further increase the limit for medium manufacturing and service units. Now it will be Rs. 50 crore of investment and Rs. 250 crore of turnover. It has also been decided that the turnover with respect to exports will not be counted in the limits of turnover for any category of MSME units whether micro, small or medium. This is yet another step towards ease of doing business. This will help in attracting investments and creating more jobs in the MSME sector. The following table provides the details of revised limits:

| Category | Old Capital | Old Turnover | New Capital | New Turnover |
|---|---|---|---|---|
| Micro | 25 Lakh | 10 Lakh | 1 Crore | 5 Crore |
| Small | 5 Crore | 2 Crore | 10 Crore | 50 Crore |
| Medium | 10 crore | 5 Crore | 50 Crore | 250 Crore |

- Approval for provisioning of Rs 20,000 crore as subordinate debt to provide equity support to the stressed MSMEs. This will benefit 2 lakh stressed MSMEs.
- Approval for equity infusion of Rs. 50,000 crore for MSMEs through Fund of Funds (FoF). This will establish a framework to help MSMEs in capacity augmentation. This will also provide an opportunity to get listed in stock exchanges.

With today's approval, implementation Modalities and Road Map for entire components of the Atmnirbhar Bharat Abhiyan package are in place. This will help in attracting investments and creating more jobs in the MSME sector.

In the aftermath of COVID-19 pandemic, Prime Minister Shri Modi was quick to recognise the role of MSMEs in building the Nation. As such, MSMEs formed a very prominent part of the announcements made under the Atmanirbhar Bharat Abhiyaan. Under this package, the MSME sector has not only been given substantial allocation but has also been accorded priority in implementation of the measures to revive the economy. To provide immediate relief to MSME sector, various announcements have been made under the Package. The most important ones also included:

- Rupees Three lakh crore collateral-free automatic loans for MSMEs to meet operational liabilities, buy raw material and restart businesses.
- Revision of MSME definition to render maximum benefits to the sector;
- Disallowing global tenders in procurements uptoRs. 200 crores- to create more opportunities for domestic players,
- And clearing of MSME dues by the Government and Public Sector Units within 45 days.

Government of India has been taking all necessary steps to ensure that the benefit of these landmark decisions reaches to the MSMEs at the earliest. In this regard, following necessary policy decisions have been already taken and the implementation strategy has been put in place.

- The scheme for Rs. Three lakh crore col lateral-free automatic loans was earlier approved by CCEA and has been formally launched.
- Modalities have been worked out for Upward revision of MSME Definition making it more inclusive broad-based providing greater avenues to MSMEs to harness their potentials.
- Similarly, amendments in General Financial Rules mandating no global tenders for procurement upto 200 crore have been carried out. The new rules have already been issued and effected. This will open up new business avenues for Indian MSMEs.
- To ensure that MSME payments are released within the timeframe of 45 days, directions have been issued at the level of Cabinet Secretary, Expenditure Secretary and Secretary, MSME.
- To further ease the burden on MSMEs, RBI has extended morato-rium on repayment of loans for another three months.

To manage all this, a robust ICT based system called CHAMPIONS has also been launched by the Ministry of MSME. The portal is not only helping and handholding MSMEs in the present situation, but is also providing guidance to grab the new business opportunities and in the long run, become national and international Champions.

MSME Ministry is committed to support the MSMEs, and the people who depend on them. All efforts are being made to encourage MSMEs to take benefit of the initiatives under the Atmanirbhar Bharat package and our other schemes.

**Background :**

Micro, small and Medium Enterprises (MSMEs) popularly called as MSMEs are the backbone of Indian economy. Silently operating in different areas across the country, more than 6 crore MSMEs have a crucial role to play in building a stronger and self-reliant India. These small economic engines have a huge impact on the country's GDP-making a contribution of 29 percent. They contribute to almost half of exports from the country. Additionally, more than 11 crore people are employed in the MSME sector.

## आईटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 नवम्बर तक, पहले 31 जुलाई थी

केन्द्र ने कोरोना संकट के बीच इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 30 नवम्बर तक बढ़ा दी है। आयकर विभाग ने अधिसूचना जारी की। पहले रिटर्न दाखिल करने की सीमा 31 जुलाई तक बढ़ाई गई थी। वहीं पैन कार्ड और आधार लिंकिंग की समय-सीमा भी 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। पहले 30 जून थी।

**( साभार : दैनिक भास्कर, 25.6.2020 )**

**बिहार गजट**
**असाधारण अंक**
**बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित**

**1 आषाढ़ 1942 (श०)**
**(संख्या पटना 372) पटना, सोमवार, 22 जून 2020**

**वाणिज्य-कर विभाग**

**अधिसूचना**
**22 जून, 2020**

एस० ओ० 130 दिनांक 22 जून 2020 – बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 के साथ पठित बिहार माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियमावली, 2020 (जिसे इसके पश्चात् नियमावली कहा गया है), के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 125 दिनांक 14 मई, 2020, द्वारा बनाया गया, और बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 302, दिनांक 14 मई, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, बिहार राज्यपाल 8 जून, 2020 को उस तारीख के रूप में जिसको नियम के उक्त उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करते हैं।

[सं०सं०–बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-9)1109)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव

**1 आषाढ़ 1942 (श०)**
**(संख्या पटना 373) पटना, सोमवार, 22 जून 2020**

**वाणिज्य-कर विभाग**

**अधिसूचना**
**22 जून, 2020**

एस० ओ० 131 दिनांक 22 जून 2020 – बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सहित विश्व के कई देशों में कोविड-19 महामारी के फैलाव की दृष्टि से, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करते हैं कि उन मामलों में जहाँ पूर्णत: या भागत: प्रतिदाय दावे को नामंजूर करने के लिए नोटिस दिया गया है और जहां उक्त अधिनियम की धारा 54 की उप धारा (7) के साथ पठित उप धारा (5) के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार आदेश जारी करने की समय-सीमा 20 मार्च, 2020 से 29 जून, 2020 तक की अवधि के दौरान है, ऐसी दशा में, उक्त आदेश को जारी करने के लिए समय-सीमा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से नोटिस का उत्तर प्राप्त करने के पश्चात् पंद्रह दिनों तक या 30 जून, 2020 तक जो भी बाद का हो, विस्तारित हो जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 मार्च, 2020 से प्रवृत्त होगा।

[सं०सं०–बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-8)1110)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव

**1 आषाढ़ 1942 (श०)**
**(संख्या पटना 374) पटना, सोमवार, 22 जून 2020**

**वाणिज्य-कर विभाग**

**अधिसूचना**
**22 जून, 2020**

एस० ओ० 132 दिनांक 22 जून 2020 – बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 129 दिनांक 9 जून, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 348 दिनांक 9 जून, 2020, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा के खंड (ii) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु जहां बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 138 के अधीन 24 मार्च, 2020 को या पूर्व ई-वे बिल सृजित किया गया है और जिसकी वैधता 20 मार्च, 2020 को या उसके पश्चात् समाप्त हो गई है, ऐसे ई-वे बिल की वैधता अवधि को 30 जून, 2020 तक बढ़ा दिया गया समझा जाएगा।"

2. यह अधिसूचना 31 मई, 2020 से प्रवृत्त होगा।

[सं०सं०–बिक्री-कर / जीएसटी / विविध-21/2017(खंड-8)1111)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव

**2 आषाढ़ 1942 (श०)**
**(संख्या पटना 375) पटना, मंगलवार, 23 जून 2020**

**परिवहन विभाग**

**अधिसूचना**
**23 जून, 2020**

सं० 02/ई-परिवहन-06/2018-4932/ परि०–बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 1992-सह-पठित बिहार सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-6581, दिनांक - 06-09-2019 के नियम - 64 के उपनियम - 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली के नियम-64 के उपनियम-3 के अन्तर्गत अधिमान (Fancy) निबंधन संख्या, मनपसंद निबंधन संख्या एवं उसके आधार शुल्क हेतु निर्मित तालिका को निम्नरुप से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

**तालिका**

| क्र सं० | अधिमान (Fancy) निबंधन संख्या | गैर-परिवहन वाहन हेतु आधार शुल्क (रुपये में) | परिवहन वाहन हेतु आधार शुल्क (रुपये में) |
|---|---|---|---|
| (a) | 0001,0003,0005,0007,0009 | 1,00,000 | 35,000 |
| (b) | 0002,0004,0006,0008,0010, 0011,0022,0033,0044,0055,0066, 0077,0088,0099, 0111,0222,0333, 0444,0555,0666,0777, 0888,0999, 1000,1001,1111,2222,3333,4444, 5555,6666,7777,8888,9999,2000, 3000,4000,5000,6000,7000,8000, 9000,0020,0030,0040,0050,0060, 0070,0080,0090 | 60,000 | 20,000 |
| (c) | 1100,1200,1300,1400,1500,1600, 1700,1800,1900,2001,2002,2100, 2200,2300,2400,2500,2600,2700, 2800,2900, 3001,3003,3100,3200, 3300,3400,3500,3600,3700,3800, 3900,4001,4004,4100,4200,4300, 4400,4500,4600,4700,4800,4900, 5001,5005,5100,5200,5300,5400, 5500,5600,5700,5800,5900,6001, 6006,6100,6200,6300,6400,6500, 6600,6700,6800,6900,7001,7007, 7100,7200,7300,7400,7500,7600, 7700,7800,7900,8001,8008,8100, 8200,8300,8400,8500,8600,8700, | 35,000 | 15,000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 8800,8900,9001,9009,9100,9200, 9300,9400,9500,9600,9700,9800, 9900,0100,0101,0110,0200,0202, 0220,0300,0303,0330,0400,0404, 0440,0500,0505,0550,0600,0606, 0660,0700,0707,0770,0800,0808, 0880,0900,0909,0990,0234,0345, 0456,0567,0678,0789,1234,2345, 3456,4567,5678,6789, 0786,0012, से 0021, 0023 से 0032, 0034 से 0043, 0045 से 0054, 0056 से 0065, 0067 से 0076, 0078 से 0087, 0089 से 0098 | | |
| (d) | **मनपंसद निबंधन संख्या** 0120,0130,0140,0150,0160,0170, 0180,0190,0210,0230,0240,0250, 0260,0270,0280,0290,0310,0320, 0340,0350,0360,0370,0380,0390, 0410,0420,0430,0450,0460,0470, 0480,0490,0510,0520,0530,0540, 0560,0570,0580,0590,0610,0620, 0630,0640,0650,0670,0680,0690, 0710,0720,0730,0740,0750,0760, 0780,0790,0810,0820,0830,0840, 0850,0860,0870,0890,0910,0920, 0930,0940,0950,0960,0970,0980, 0121,0123,0151,0212,0313,0323, 0414,0515,0525,0575,0616,0717, 0818,0919,1010,1212,1313, 1414, 1515, 1616, 1717, 1818, 1919, 2020, 2121, 2323, 2424, 2525, 2626, 2727, 2828, 2929, 3030, 3131, 3232, 3434, 3535, 3636, 3737, 3838, 3939, 4040, 4141, 4242, 4343, 4545, 4646, 4747, 4848, 4949, 5050, 5151, 5252, 5353, 5454, 5656, 5757, 5858, 5959, 6060, 6161, 6262, 6363, 6464, 6565, 6767, 6868, 6969, 7070, 7171, 7272, 7373, 7474, 7575, 7676, 7878, 7890, 7979, 8080, 8181, 8282, 8383, 8484, 8585, 8686, 8787, 8989, 9090, 9191, 9292, 9393, 9494, 9595, 9696, 9797, 9898 1221,1331,1441,1551,1661,1771, 1881,2112,2332,2442,2552,2662, 2772,2882,2992,3113,3223,3443, 3553,3663,3773,3883,3993,4114, 4224,4334,4554,4664,4774,4884, 4994,5115,5225,5335,5445,5665, 5775,5885,5995,6116,6226,6336, 6446,6556,6776,6886,6996,7117, 7227,7337,7447,7557,7667,7887, 7997,8118,8228,8338,8448,8558, 8668,8778,8998,9119,9229,9339, 9449,9559,9669,9779,9889,1011, 1112,2021,2324,3031,4041,5051, 6061,7071,8081,9091, 1020,1030,1040,1050,1060,1070, | 16,000 | 10,000 |
| | 1080,1090,2010,2030,2040,2050, 2060,2070,2080,2090,3010,3020, 3040,3050,3060,3070,3080,3090, 4010,4020,4030,4050,4060,4070, 4080,4090,5010,5020,5030,5040, 5060,5070,5080,5090,6010,6020, 6030,6040,6050,6070,6080,6090, 7010,7020,7030,7040,7050,7060, 7080,7090,8010,8020,8030,8040, 8050, 8060,8070,8090,9010,9020, 9030,9040,9050,9060,9070,9080, 1525,2535,3545,4555,5565,6575, 7585,8595, 1857,1869,1911,1912,1914,1929, 1930,1942,1947,1950,1971,1975, 1983,1991,1998,2003,2011,2012, 2013,2014,2015,2016,2017,2018, 2019,2021,2022,2023,2024,2025, 2026,2027,2028,2029,8055 | | |
| (e) | मनपसंद अधिमान निबंधन संख्या : उपर्युक्त के अतिरिक्त कोई अन्य निबंधन संख्या, जिसे चालू सिरीज में मनपसंद निबंधन संख्या के रुप में मांग किया गया हो। | 10,000 | 7500 |

**नोट** :- क्रम संख्या-(d) में कर्णांकित निबंधन संख्या, मनपसंद निबंधन संख्या है, जिसके लिए ई-निलामी की आवश्यकता नहीं होगी तथा निर्धारित शुल्क पर बिना ई-निलामी के आवंटित की जा सकेगी।

**2** : यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से 04 कार्य दिवस के पश्चात् प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से।
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

**बिहार सरकार**

## वाणिज्य-कर विभाग

### GST के अन्तर्गत शून्य मासिक विवरणी (GSTR-3B) SMS से दाखिल करने की सुविधा प्रारंभ।

- यदि आप GST में निबंधित व्यवसायी हैं, और विवरणी शून्य दाखिल करनी है तो मासिक विवरणी GSTR - 3B आप अपने रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर से एसएमएस (SMS) के जरिए दाखिल कर सकते हैं।
- विवरणी दाखिल करने के लिए व्यवसायी को अपने रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर से NIL<Space>3B<GSTIN<space>Tax Period लिख कर (उदाहरण : NIL 3B 10XXXXXXXXXXXZC 052020) मोबाईल नं. 14409 पर एसएमएस करेंगे तो आपको एक OTP प्राप्त होगा, जिसे CNF< Space> 3B<Space> Code लिख कर (उदाहरण :- CNF 3B 123456) सम्पुष्ट (Confirm) करने पर विवरणी दाखिल समझी जाएगी एवं ARN प्राप्त हो जाएगा।
- इस ARN का इस्तेमाल दाखिल विवरणी की स्थिति (Status) जानने के लिए किया जा सकता है।
- विस्तृत जानकारी www.gst.gov.in पर उपलब्ध है।

-राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव

**( साभार : हिन्दुस्तान 17.6.2020 )**

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296